

निदेशालय, प्राविधिक शिक्षा उत्तराखंड,
श्रीनगर (गढ़वाल)
के

संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य

(The particulars of its organisation, functions and duties)

प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यवर्णन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के संवर्धन के लिये लोक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन सूचना नागरिकों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों के सूचना का अधिकार की व्यावहारिक शासन पद्धति स्थापित करने हेतु केन्द्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आयोगों का गठन करने और उससे संबंधित आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए भारतीय संविधान के अनुरूप सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 बनाया गया है। इस अधिनियम के प्राविधानों के अनुरूप प्राविधिक शिक्षा निदेशालय उत्तरांचल के संगठनात्मक स्वरूप, विशेषतायें और कर्तव्य की संरचना निम्नवत् है:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने 1945 में अपनी स्थापना के उपरान्त तकनीकी पाठ्यक्रमों की पाठ्यचर्या, उपकरणों एवं स्टाफ की आवश्यकता का मानवीकरण अखिल भारतीय स्तर पर समस्त तकनीकी संस्थाओं के लिए प्रारम्भ किया। भारत सरकार समस्त राज्य को परिषद के मानक के अनुसार अपने राज्य की तकनीकी संस्थाओं को नियमित करने के लिए आदेश जारी किये गये। साथ ही साथ प्रत्येक राज्य में राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद एवं पृथक तकनीकी शिक्षा विभाग की स्थापना करने के लिए संस्तुति प्रदान की गयी। परिणामस्वरूप वर्ष 1954 में उत्तर प्रदेश राज्य के प्राविधिक शिक्षा परिषद की स्थापना लखनऊ में हुयी। वर्ष 1961 में उत्तर प्रदेश के उद्योग निदेशालय कानपुर के तकनीकी शिक्षा को देख रहे अनुभाग को तकनीकी शिक्षा निदेशालय के रूप में परिवर्तित किया गया, जिसके द्वारा डिप्लोमा स्तर की संस्थाओं से संबंधित समस्त प्रशासनिक कार्यों की देखभाल करना प्रारम्भ किया गया।

उत्तराखंड राज्य देश में तकनीकी शिक्षा का उद्गम माना जाता है। भारत में प्रथम इंजीनियरिंग संस्था रूड़की में वर्ष 1847 में (थामसन इंजीनियरिंग संस्थान) सिविल इंजीनियर्स को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था जो कि अब भारतीय प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान (आईआईटी) के रूप में स्थापित है। संस्थान में 10 पाठ्यक्रमों में बी0टेक0, 57 पाठ्यक्रम में स्नातकोत्तर तथा अनेक पाठ्यक्रमों में पी0एच0डी0 डिग्री प्रदान की जा रही है। संस्थान में 19 शैक्षिक विभाग तथा 08 शैक्षणिक केन्द्र स्थापित किये गये हैं।

नवगठित उत्तराखंड राज्य की भौगोलिक सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तकनीकी शिक्षा के विकास पर विशेष बल देने, प्रशिक्षित बेरोजगारों को अधिक से अधिक आधुनिक तकनीकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से प्राविधिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना श्रीनगर गढ़वाल में अक्टूबर 2003 में की गयी। प्रदेश में तकनीकी शिक्षा, पालीटेक्निक, इंजीनियरिंग, एम0बी0ए0, एम0सी0ए0, फार्मसी, होटल मैनेजमेंट एण्ड कैंटरिंग संस्थाओं, विश्वविद्यालय के संगठन संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाती है। यह संस्थायें राजकीय सहायता प्राप्त तथा स्ववित्त पोषित क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं।

उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अधीन उत्तरांचल राज्य की स्थापना दिनांक 09-11-2000 को की गयी। जिसमें राज्य के विभिन्न कार्यकारी व्यवस्थाओं के अधीन उत्तरांचल शासन के मानव संसाधन विकास विभाग के अधीन प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, उत्तरांचल का सृजन कर, श्रीनगर गढ़वाल में स्थापित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही शासनादेश संख्या 2857/6(62)/मा.स.वि./2001 दिनांक 15/23 अक्टूबर 2001 द्वारा प्राविधिक शिक्षा परिषद की स्थापना की गयी, जो कि वर्तमान में रूड़की में संचालित है।

शासनादेश संख्या 1016/xli-1/2011-92/10 दिनांक 15 नवंबर 2011 द्वारा उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत संयुक्त प्रवेश परीक्षा एवं

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005, मैनुअल संख्या-1

प्रशिक्षण अनुसंधान विकास प्रकोष्ठ की स्थापना देहरादून में की गयी है जिसमें प्राविधिक शिक्षा परिषद रुड़की के 45 पदों में से 20 पदों को सृजित किया गया है।

:: प्राविधिक शिक्षा निदेशालय का गठन ::

निदेशालय की स्थापना :- निदेशालय प्राविधिक शिक्षा की स्थापना शासनादेश संख्या 911/मा.सं.वि./2001 दिनांक 18 जुलाई, 2001 के अन्तर्गत की गयी है। पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश में निदेशालय स्तर से जो प्रशासनिक, स्थापना, लेखा, प्लान एवं बजट इत्यादि कार्य किये जाते थे को समाहित करते हुए वे सभी कार्य अब निदेशक प्राविधिक शिक्षा उत्तराखण्ड द्वारा किये जाते हैं।

कृत और कर्तव्य:- निदेशालय स्तर पर कर्तव्य का बोध सुनिश्चित करने के लिये निदेशक को विभागाध्यक्ष घोषित किया गया है, जो वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 एवं वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-1 पर आधारित है। शासनादेश संख्या 911/मा0सं0वि0/2001 दिनांक 18 जुलाई, 2001 द्वारा प्राविधिक शिक्षा निदेशालय के गठन तथा क्षेत्रीय कार्यालय प्राविधिक शिक्षा पौड़ी में पूर्व में सृजित किये पदों को परिवर्तित एवं परिवर्धन कर निदेशक (वेतनमान 18400-22400) के अतिरिक्त एक संयुक्त निदेशक (वेतनमान 12000-16500), 01 वित्त नियंत्रक (वेतनमान 12000-16500), 01 उप निदेशक (वेतनमान 10000-15200), एक आशुलिपिक (वेतनमान 5000-8000), 01 वरिष्ठ सम्प्रेक्षक (वेतनमान 5000-8000), वरिष्ठ लिपिक (वेतनमान 4000-6000), 05 कनिष्ठ कार्यालय सहायक/कनिष्ठ लेखा सहायक (वेतनमान 3050-4590), 01 ड्राईवर (वेतनमान 3050-4590) एवं 02 चतुर्थ श्रेणी (वेतनमान 2550-3200) के पद सृजित किये गये। इसके अतिरिक्त शासनादेश संख्या 05/प्रा0शि0/2003 दिनांक 06.02.2003 के द्वारा 01 कार्यालय अधीक्षक (वेतनमान 5000-8000) एवं 01 आशुलिपिक (वेतनमान 4000-6000) के पद सृजित किये गये।

शासनादेश संख्या-1820/XXIV(8)/10-44/04 दिनांक 18 जनवरी, 2011 द्वारा प्राविधिक शिक्षा निदेशालय श्रीनगर के पदों के ढांचे को पुर्नगठित किया गया जिसमें प्रा0शि0 निदेशालय के कार्यभार को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व में स्वीकृत 17 पदों के स्थान पर प्रा0शि0 निदेशालय श्रीनगर हेतु तत्काल प्रभाव से 24 पद सृजित किये गये हैं एवं उत्तराखण्ड शासन, कार्मिक अनुभाग के पत्र सं0-355(i)/XXX(2)/15-30(51)2015 दिनांक 06.10.15 द्वारा मिनिस्ट्रीयल संवर्ग में संशोधित स्टाफिंग पैटर्न लागू किये जाने पर सृजित पदों का विवरण निम्नवत् है :-

क्र0 सं0	पदनाम	पदों की संख्या	वेतन बैंड एवं ग्रेड पे0
1	2	3	4
01	निदेशक (Ex-Officio)	01	PB-IV-37400-67000 Grade Pay-10000 (पदेन)
02	अपर निदेशक	01	PB-IV-37400-67000 Grade Pay-8700
03	संयुक्त निदेशक	01	PB-III-15600-39100 Grade Pay-7600
04	वित्त नियंत्रक	01	PB-III-15600-39100 Grade Pay-7600
05	उप निदेशक	02	PB-III-15600-39100 Grade Pay-6600
06	वैयक्तिक अधिकारी	01	PB-II-9300-34800 Grade Pay-4600
07	वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक	01	PB-II-9300-34800 Grade Pay-4200
08	वैयक्तिक सहायक	01	PB-I-5200-20200 Grade Pay-2800
09	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	01	PB-II-9300-34800 Grade Pay-4800

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005, मैनुअल संख्या-1

10	प्रशासनिक अधिकारी	02	PB-II-9300-34800 Grade Pay-4600
11	ज्येष्ठ लेखा परीक्षक	01	PB-II-9300-34800 Grade Pay-4600
12	सहायक लेखाकार	02	PB-I-5200-20200 Grade Pay-2800
13	प्रधान सहायक	02	PB-II-9300-34800 Grade Pay-4200
14	वरिष्ठ सहायक	02	PB-I-5200-20200 Grade Pay-2800
15	कनिष्ठ सहायक	03	PB-I-5200-20200 Grade Pay-2000
16	वाहन चालक	02	PB-I-5200-20200 Grade Pay-1900 रिक्त पद आउटसोर्सिंग
17	चतुर्थ श्रेणी कार्मिक	02	PB-I-5200-20200 Grade Pay-1800 रिक्त पद आउट सोर्सिंग द्वारा
18	स्वच्छक/चौकीदार,/माली एवं अन्य चतुर्थ श्रेणी कार्मिक	00	आउट सोर्सिंग द्वारा
	योग	26	

सृजित पदों में निदेशक के पद हेतु अंकित वेतनमान विभागीय अधिकारी के पदधारण पर अनुमन्य होगा। यदि आई0ए0एस0 अथवा पी0सी0एस0 अधिकारी पदधारण करेंगे तो अपने संवर्ग में अनुमन्य वेतनमान में कार्य करेंगे। संयुक्त निदेशक तथा उप निदेशक के पदों पर विभागीय अधिकारी नियुक्त किये जाते हैं। जबकि वित्त नियंत्रक वित्त एवं लेखा सेवा से नियुक्त किये जाते हैं। इन संवर्गों के अतिरिक्त अन्य सभी पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया निदेशक, के अधीन सेवा नियमावली (शासन स्तर पर विचाराधीन) में दिये गये प्राविधानों के अनुसार चयन प्रक्रिया पूरी किया जाना आवश्यक है। राज्य के सभी कर्मचारियों की भौति निदेशालय प्राविधिक शिक्षा उत्तराखंड के अधिकारी एवं कर्मचारी भी आचरण नियमावली एवं सामान्य सेवा संबंधी नियमों, प्रक्रियाओं एवं निर्देशों जो समय-समय पर कार्मिक एवं वित्त विभाग द्वारा निर्गत किया जाता है, लागू है।

निदेशालय में सृजित पदों के सापेक्ष वेतनमान अथवा पदधारक के अनुरूप अधिकारी उपलब्ध न होने के कारण शासन द्वारा नियुक्त अधिकारियों को एक से अधिक पदभार दिये जाने या उसके सापेक्ष कम वेतनमान के अधिकारी नियुक्त किये जाने की प्रक्रिया है।

प्राविधिक शिक्षा निदेशालय द्वारा आहरण एवं संवितरण के कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन हेतु निदेशालय स्तर एवं के0एल0पालीटेक्निक रुड़की के वित्तीय मामलों में वित्त अधिकारी को आहरण वितरण अधिकारी घोषित करते हुए डी0डी0ओ0 कोड संख्या 4110 आवंटित किया गया है।

निदेशालय में नियुक्त अधिकारियों के कर्तव्य एवं दायित्वों से संबंधित सेवा नियमावली उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली 2009 तथा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के अध्याय 18-ए के साथ-साथ समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत आदेश के अनुसार निर्धारित किये जाते हैं। निदेशक द्वारा समय-समय पर विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचनाओं की समीक्षा की जाती है। निदेशक द्वारा उनके अधीन नियुक्त अधिकारियों के कार्य की समीक्षा तथा वार्षिक प्रविष्टि हेतु प्रतिवेदक अधिकारी बनाया गया है। जिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों के नियुक्त अधिकारी निदेशक स्वयं हैं उनके वार्षिक प्रविष्टि के प्रकरण में स्वीकृत कर्ता का दायित्व दिया गया है। यद्यपि अधीनस्थ कर्मचारियों के प्रतिवेदक एवं समीक्षक अधिकारी की स्थिति कहीं स्पष्ट नहीं की गई है, फिर भी, सामान्य प्रक्रिया यह है कि जिस संयुक्त निदेशक/उप निदेशक के अधीन कोई कर्मचारी कार्य करता है तो उसकी संस्तुति पर निदेशक द्वारा गुण दोष के आधार पर वार्षिक प्रविष्टि पर स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी के रूप में प्रविष्टि देता है। निदेशक द्वारा समय-समय पर निदेशालय में नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारियों के मध्य कार्यावंटन किया जाता है।

निदेशालय में दावे (Claims) का समयबद्ध निस्तारण तभी संभव है जब संबंधित संस्था/व्यक्ति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अधीन निदेशालय अथवा उसके अधीनस्थ कार्यालय को दावा समय से एवं सही दावा प्रस्तुत किया जाये।

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005, मैनुअल संख्या-1

उत्तरांचल राज्य के अस्तित्व में आने के उपरान्त उत्तरांचल राज्य की सीमा के अंतर्गत स्थित समस्त पॉलीटेक्निक इस राज्य के अधीन संचालित होने लगे । तदोपरान्त उ0प्र0 की भाँति इस राज्य में भी निदेशक प्राविधिक शिक्षा का पद सृजित कर, निदेशालय की स्थापना की गई, जो वर्तमान में निम्न पते पर स्थापित है :-

प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजकीय पॉलीटेक्निक परिसर, उत्तराखंड श्रीनगर गढ़वाल ।

दूरभाष नं0 - 01346-251937, 250169, फ़ैक्स न0- 01346-250168

वर्तमान में उत्तरांचल राज्य की समस्त पॉलीटेक्निक संस्थायें इस निदेशालय के अधीन कार्यरत हैं । समस्त राजकीय संस्थाओं का प्रशासकीय एवं वित्तीय नियंत्रण इस निदेशालय के अधीन है ।

उत्तराखंड राज्य में तकनीकी शिक्षा क्षेत्र में इंजीनियरिंग, फार्मेसी तथा ऑफिस मैनेजमेंट के क्षेत्र में क्रमशः त्रिवर्षीय एवं द्विवर्षीय डिप्लोमा कोर्स के पाठ्यक्रमों का संचालन राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित पॉलीटेक्निक संस्थाओं के माध्यम से संपन्न कराया जा रहा है । वर्तमान में निजी एवं सरकारी पॉलीटेक्निक संस्थाओं की संख्या निम्नवत् है :-

सरकारी संस्थायें	-	78
सहायता प्राप्त संस्थायें	-	01
निजी क्षेत्र के प्रशिक्षण संस्थान	-	52

समस्त राजकीय एवं अनुदानित संस्था (एक) हेतु बजट का प्राविधान करवाना व बजट प्राप्त होने के उपरान्त समय से संस्थाओं को बजट आवंटन करने का कार्य निदेशालय स्तर पर किया जाता है। समस्त राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थाओं में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वार्षिक स्थानान्तरण, प्रोन्नत वेतनमान, समस्त अवकाश स्वीकृत आदि कार्य निदेशालय स्तर पर किये जाते हैं । सभी राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थाओं को प्रशासनिक स्वीकृतियाँ निदेशालय स्तर पर प्रदान की जाती हैं। समस्त पॉलीटेक्निक संस्थाओं का निरीक्षण करना तथा नियमों का उनसे पालन करवाना भी निदेशालय का उत्तरदायित्व है ।

❖ **अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य** - वर्तमान में निदेशालय में निम्नवत् पांच अधिकारी कार्यरत हैं :-

- (1) निदेशक
- (2) अपर निदेशक
- (3) संयुक्त निदेशक
- (4) वित्त अधिकारी
- (5) उप निदेशक

वर्तमान में निदेशालय में निम्नवत् कर्मचारी कार्यरत हैं :-

(1) तृतीय श्रेणी कर्मचारी	-	08
(2) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	-	02
(3) पी0आर0डी0 कर्मचारी	-	02
(4) उपनल (आउटसोर्स)	-	05
(5) दैनिक वेतन कर्मचारी	-	03

निदेशक के कर्तव्य :-समस्त राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थाओं के निदेशन, प्रशासन, पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण का कार्य ।

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005, मैनुअल संख्या-1

अपर निदेशक के कर्तव्य :- निदेशक द्वारा अनुमति दिये जाने के उपरान्त स्थापना एवं प्रशासन संबंधी समस्त आदेशों को निर्गत किया जाना तथा निदेशक द्वारा समय-समय पर दिये गये अन्य समस्त कार्य एवं राष्ट्रीय सेवा योजना से संबंधित कार्य।

संयुक्त निदेशक के कर्तव्य :- निदेशक द्वारा अनुमति दिये जाने के उपरान्त स्थापना एवं प्रशासन संबंधी समस्त आदेशों को निर्गत किया जाना तथा निदेशक द्वारा समय-समय पर दिये गये अन्य समस्त कार्य एवं राष्ट्रीय सेवा योजना से संबंधित कार्य। अपीलीय अधिकारी से संबंधित कार्य।

उप निदेशक के कर्तव्य :- निदेशक के आदेशानुसार विभागीय कोर्ट केसों के निस्तारण संबंधी कार्य, शैक्षिक प्रगति के रख-रखाव एवं। सहायक लोक सूचना अधिकारी से संबंधित कार्य, निदेशक महोदय के निर्देशानुसार समस्त कार्य एवं निदेशक द्वारा समय-समय पर दिये जाने वाले समस्त कार्यों का निर्वहन, ए0आई0सी0टी0ई0 एवं पी0सी0आई0 से अनुमोदन लेने सम्बन्धी कार्य।

वित्त अधिकारी - शासन द्वारा निदेशालय के आहरण वितरण अधिकारी (डेलीगेशन आफ पावर्स का कार्य) निदेशक को प्रदान किया गया है। तत्पश्चात् निदेशक द्वारा वित्त अधिकारी को आहरण वितरण के कार्य करने हेतु अधिकृत किया गया है। निदेशालय एवं कन्हैया लाल पॉलीटेक्निक रुड़की के आहरण वितरण अधिकारी का कार्य, सस्थाओं को बजट आवंटन संबंधी कार्य।

तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के कर्तव्य :- निदेशक, संयुक्त निदेशक व उप निदेशक महोदय द्वारा द्वारा दिये गये समस्त कार्यालय संबंधी कार्यों का निर्वहन करना।

****प्राविधिक शिक्षा का उद्देश्य देश में एक तकनीकी कुशल वर्ग तैयार करना रहा है। यह एक सामान्य परंपरागत शिक्षा से हटकर विशिष्ट शैली की शिक्षा पद्धति है। इस क्रम में उच्चतर स्तर पर इंजीनियरिंग कालेज व मध्यम स्तर पर पालीटेक्निक संस्थायें आती हैं। परंपरागत शिक्षा जहाँ आज के तकनीकी युग में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने में कुछ हद तक ही कामयाब रही है वहीं तकनीकी शिक्षा प्राप्त युवा किसी नौकरी का मोहताज नहीं होता है और अपना रोजगार प्रारंभ कर स्वावलंबन का एक आधार तय कर सकता है।**

इसी उद्देश्य के दृष्टिगत भारत सरकार व तदनुसार राज्य सरकारों ने तकनीकी संस्थाओं का संगठन तैयार किया और इसी परिप्रेक्ष्य में उत्तराखण्ड सरकार के अंतर्गत प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन राजकीय पालीटेक्निक एवं सहायता प्राप्त पालीटेक्निक संचालित हैं। इन पालीटेक्निक संस्थाओं द्वारा अभियांत्रिकी एवं अभियंत्रणत्तर पाठ्यक्रमों में डिप्लोमा प्रदान करने की शिक्षा प्रदान की जाती है।

प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित विभिन्न राजकीय एवं सहायता प्राप्त पालीटेक्निकों एवं स्व वित्त पोषित पालीटेक्निकों में छात्रों का शिक्षण एवं प्रशिक्षण अत्याधुनिक पाठ्यक्रम के अनुसार किया जाता है। इसके साथ ही कई *extra-curricular गतिविधियां* जैसे एन0एस0एस0, एन0सी0 सी0 इत्यादि भी संस्थाओं द्वारा की जाती हैं जिससे छात्रों के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास हो सके एवं डिप्लोमा करने के पश्चात् रोजगार प्राप्त कर सकें अथवा स्वतः रोजगार शुरू करके अन्य लोगों को रोजगार देने में सक्षम हो सके। इसके साथ ही संस्थाओं में कैंपस इंटरव्यू के माध्यम से भी अधिक से अधिक रोजगार छात्रों को प्राप्त कराये जाने के प्रयास किये जाते हैं। प्राविधिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत निम्नलिखित संस्थायें छात्रों को विभिन्न ब्रांचों में प्रशिक्षण प्रदान कर रही हैं।

1. राजकीय पालीटेक्निक श्रीनगर - इस संस्था की स्थापना वर्ष 1968 में 9.6 एकड़ भूमि के अधिग्रहण/क़य के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर अलकनंदा तट के किनारे पर स्थित की गयी है। इस संस्था में तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत निम्न ट्रेडों में शिक्षा प्रदान की जाती है।

ब्रांच का नाम	प्रवेश क्षमता
सिविल इंजीनियरिंग	40
इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग	40

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005, मैनुअल संख्या-1

इलैक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग	40
मैकेनिकल इंजीनियरिंग	40
आई0टी0	40
क0सा0इं0इंजी0	40
मैकेनिकल इंजी0(आटोमोबाइल इंजी.)	40
फार्मैसी	40
योग	320

2. **राजकीय ग्रामीण पालीटेक्निक थलनदी:-** इस संस्था की स्थापना सन 1987 में पौड़ी जनपद के थलनदी में की गयी । प्रारंभ से इस संस्था में दो पाठ्यक्रम आधुनिक कार्यालय प्रबन्धन एवं सचिवीय पद्धति (MOMSP) का दो वर्षीय एवं इलेक्ट्रानिक्स अभियंत्रण तीन वर्षीय पाठ्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं । इस संस्था में तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत निम्न ट्रेडों में शिक्षा प्रदान की जाती है ।

खांच का नाम	प्रवेश क्षमता
मा0आ0मै0ए0सै0प्रे0	40
इलैक्ट्रानिक्स इंजी0	40
योग	80

3. **राजकीय पालीटेक्निक कोटद्वार :-** इस संस्था की स्थापना वर्ष 2005 में पौड़ी जनपद के हल्दूखाता(कोटद्वार) में की गयी । इस संस्था में तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत निम्न ट्रेडों में शिक्षा प्रदान की जाती है ।

खांच का नाम	प्रवेश क्षमता
इलैक्ट्रानिक्स इंजी0	40
क0सा0इं0इंजी0	40
योग	80

4. **राजकीय पालीटेक्निक गौचर(चमोली) -** इस संस्था की स्थापना वर्ष 1979 में जनपद चमोली के गौचर नामक स्थान पर की गयी । इस संस्था में तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत निम्न ट्रेडों में शिक्षा प्रदान की जाती है ।

खांच का नाम	प्रवेश क्षमता
सिविल इंजी0	40
इलैक्ट्रानिक्स इंजी0	40
आई0टी0	40
फार्मैसी	40
योग	160

5- **राजकीय पालीटेक्निक नरेन्द्रनगर(टिहरी गढ़वाल) -** राजकीय पालीटेक्निक नरेन्द्रनगर,टिहरी गढ़वाल नई टिहरी मुख्य मार्ग पर स्थित है तथा नरेन्द्रनगर शहर से 03 किमी पहले ऋषिकेश की तरफ स्थित है । इस संस्था में तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत निम्न ट्रेडों में शिक्षा प्रदान की जाती है ।

खांच का नाम	प्रवेश क्षमता
इलैक्टिकल इंजी0	40
इलैक्ट्रानिक्स इंजी0	40
आई0टी0	40
फार्मैसी	40
पी0जी0डी0सी0ए0	40
योग	200

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005, मैनुअल संख्या-1

6- राजकीय पालीटेक्निक उत्तरकाशी – राजकीय पालीटेक्निक उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से लगभग 5 किमी० दूरी पर एन०आई०एम० रोड पर स्थित है । इस संस्था का भवन 22 एकड़ भूमि में निर्माणाधीन है । इस संस्था में तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत निम्न ट्रेडों में शिक्षा प्रदान की जाती है ।

खांच का नाम	प्रवेश क्षमता
सिविल इंजी०	40
इलैक्ट्रिकल इंजी०	40
इलैक्ट्रानिक्स इंजी०	40
मा०आ०मै०ए०सै०प्रे०	40
फार्मेसी	40
योग	200

7. राजकीय पालीटेक्निक पित्थोवाला देहरादून – राजकीय पालीटेक्निक देहरादून संस्था का अपना भवन देहरादून शहर से लगभग 7 किमी० दूर शिमला बाईपास पर ग्राम पित्थोवाला में 12.85 एकड़ भूमि में निर्माणाधीन है । इस संस्था में तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत निम्न ट्रेडों में शिक्षा प्रदान की जाती है ।

खांच का नाम	प्रवेश क्षमता
सिविल इंजी०	40
इलेक्ट्रानिक्स इंजी०	40
मैकेनिकल इंजी०	40
आई०टी०	40
क०सा०ए०इंजी०	40
मैकेनिकल इंजी०(आटोमोबाइल इंजी०)	40
फार्मेसी	40
योग	280

8. राजकीय महिला पालीटेक्निक देहरादून – राजकीय पालीटेक्निक देहरादून मुख्य शहर से लगभग 11 किमी० दूर पश्चिम दिशा में चकराता रोड पर स्थित है । इस संस्था में तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत निम्न ट्रेडों में शिक्षा प्रदान की जाती है ।

खांच का नाम	प्रवेश क्षमता
इलैक्ट्रानिक्स इंजी०	40
क०सा०ए० इंजी०	40
मा०आ०मै०ए०सै०प्रे०	40
इंटीरियर डिजाइन	40
योग	160

9. राजकीय पालीटेक्निक काशीपुर – यह संस्था राजकीय पालीटेक्निक काशीपुर के नाम से मानपुर रोड काशीपुर में स्थित है । संस्था की स्थापना वर्ष 1975 में की गयी । संस्था का अपना स्वयं का परिसर है, जो 14.60 एकड़ में फैला हुआ है । इस संस्था में तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत निम्न ट्रेडों में शिक्षा प्रदान की जाती है ।

खांच का नाम	प्रवेश क्षमता
सिविल इंजी०	40
इलैक्ट्रानिक्स इंजी०	40
मैकेनिकल इंजी०(प्रोडक्शन)	40
आई०टी०	40
क०सा०ए०इं०	40
कैमिकल इंजी०	40

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005, मैनुअल संख्या-1

फार्मसी	40
कृषि इंजी०	40
कैमिकल इंजी० (पेन्ट)	40
योग	360

10- राजकीय पालीटेक्निक शक्तिफार्म :- इस संस्था की स्थापना वर्ष 1985 में की गयी थी । उक्त पालीटेक्निक की कक्षायें राजकीय पालीटेक्निक शक्तिफार्म के सितारगंज में किराये के भवन में ही चलाई जा रही हैं । इस संस्था में तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत निम्न ट्रेडों में शिक्षा प्रदान की जाती है -

खांच का नाम	प्रवेश क्षमता
इलेक्ट्रानिक्स इंजी०	40
कैमिकल इंजी०	40
कैमिकल टेक्नोलाजी(रबर एवं प्लास्टिक)	40
योग	120

11. राजकीय पालीटेक्निक नैनीताल - इस संस्था की स्थापना सरोवर नगरी के पश्चिम में कैमल्स बैंक नामक पर्वत के आंचल में तथा बस स्टेशन से लगभग 5 किमी० दूर स्थित है । वर्ष 1957 से 1987 तक संस्था का पूर्ण दायित्व प्रबन्ध समिति के उपर रहा । 12 मार्च 1987 को इस संस्था का सरकारीकरण कर उत्तर प्रदेश शासन ने इसको पूर्ण रूप से राजकीय घोषित किया । इस संस्था में तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत निम्न ट्रेडों में शिक्षा प्रदान की जाती है ।

खांच का नाम	प्रवेश क्षमता
सिविल इंजी०	40
इलेक्ट्रिकल इंजी०	40
इलेक्ट्रानिक्स इंजी०	40
मैकेनिकल इंजी०	40
आई०टी०	40
मा०आ०मै०ए०सै०प्रे०	40
फार्मसी	40
पी०जी०डी०सी०ए०	40
योग	320

12. राजकीय महिला पालीटेक्निक अल्मोड़ा - इस संस्था की स्थापना 1987 से संचालित की जा रही है यह अल्मोड़ा शहर से तीन किमी० की दूरी पर अल्मोड़ा, बागेश्वर मोटर मार्ग पर धार की तूनी के समीप पातालदेवी नामक स्थान पर वर्ष 1987 से संचालित की जा रही है । इस संस्था में तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत निम्न ट्रेडों में शिक्षा प्रदान की जाती है ।

खांच का नाम	प्रवेश क्षमता
इलेक्ट्रानिक्स इंजी०	40
क०सा०ए०इंजी०	40
आई०टी०	40
मा०आफ०मै०ए०सै०प्रे०	40
पी०जी०डी०सी०ए०	40
योग	200

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005, मैनुअल संख्या-1

13. राजकीय ग्रामीण पॉलीटेक्निक, ताकुला – इस संस्था की स्थापना 1986-87 में किराये के भवनों पर की गयी थी । यह संस्था अल्मोड़ा से लगभग 35 किमी० की दूरी पर अल्मोड़ा बागेश्वर मोटर मार्ग पर सतराली पट्टी के ताकुला नामक ग्राम में है। इस संस्था में तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत निम्न ट्रेडों में शिक्षा प्रदान की जाती है ।

ब्रांच का नाम	प्रवेश क्षमता
इलैक्ट्रानिक्स इंजी०	40
मा०आ०मै०ए०सै०प्रे०	40
योग	80

14. राजकीय पॉलीटेक्निक, सल्ट(अल्मोड़ा) – इस संस्था की स्थापना 1985 में अल्मोड़ा जनपद के सल्ट नामक स्थान पर की गयी । 5 सितम्बर 2003 को मा० मुख्यमंत्री उत्तरांचल द्वारा संस्था का नाम परिवर्तित कर स्व०सं०से०पु०उ० के नाम पर कर दिया गया है । इस संस्था में तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत निम्न ट्रेडों में शिक्षा प्रदान की जाती है ।

ब्रांच का नाम	प्रवेश क्षमता
इलैक्ट्रानिक्स इंजी०	40
योग	40

15. राजकीय पालीटेक्निक द्वाराहाट (अल्मोड़ा) – इस संस्था की स्थापना अल्मोड़ा शहर से 80 किमी० दूर रानीखेत-बद्रीनाथ मार्ग पर द्वाराहाट मुख्य कस्बे से 03 किमी की दूरी पर स्थित है । इसकी स्थापना 1975 में की गयी थी । इस संस्था में तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत निम्न ट्रेडों में शिक्षा प्रदान की जाती है ।

ब्रांच का नाम	प्रवेश क्षमता
सिविल इंजी०	40
इलैक्ट्रानिक्स इंजी०	40
आई०टी०	40
क०सा०ए०इ०	40
मा०आफ०मै०सै०प्रे०	40
फार्मेसी	40
पी०जी०डी०सी०ए०	40
योग	280

16. राजकीय पालीटेक्निक लोहाघाट(चम्पावत) – इस संस्था की स्थापना अक्टूबर 1975 में की गयी थी । इस संस्था में तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत निम्न ट्रेडों में शिक्षा प्रदान की जाती है ।

ब्रांच का नाम	प्रवेश क्षमता
सिविल इंजी०	40
इलैक्ट्रानिक्स इंजी०	40
आई०टी०	40
मा०आफ०मै०सै०प्रे०	40
फार्मेसी	40
योग	200

17- राजकीय पालीटेक्निक कोटाबाग(नैनीताल)- इस संस्था की स्थापना 18 अक्टूबर 2003 को नैनीताल जिले के कोटाबाग में मा० मुख्यमंत्री उत्तरांचल श्री एन०डी० तिवारी जी द्वारा की गयी । इस संस्था में तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत निम्न ट्रेडों में शिक्षा प्रदान की जाती है ।

ब्रांच का नाम	प्रवेश क्षमता
---------------	---------------

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005, मैनुअल संख्या-1

इलैक्ट्रानिक्स इंजी0	40
क0सा0ए0इ0	40
योग	80

18- राजकीय पालीटेक्निक सतपुली (जिला-पौड़ी गढ़वाल) :-

इस संस्था की स्थापना दिसम्बर 2006 में पौड़ी गढ़वाल जिले में की गयी है । शासनादेश संख्या 485/xxiv(8)/2006-13/2006 दिनांक 14 जून 2006 जुलाई 2006 से उक्त पालीटेक्निक में प्रवेश आरंभ कर दिये गये हैं । वर्तमान में कक्षायें राजकीय पालीटेक्निक सतपुली में चल रही हैं ।

ब्रांच का नाम	प्रवेश क्षमता
मैकेनिकल इंजी0	40
योग	40

19- राजकीय पालीटेक्निक (रतूड़ा) रूद्रप्रयाग

रतूड़ा में पालीटेक्निक खोलने की घोषणा वर्ष 2006 में की गयी है । वर्तमान में रतूड़ा पालीटेक्निक की कक्षायें इस वर्ष से में राजकीय पालीटेक्निक रतूड़ा, जिला रूद्रप्रयाग में किराये के भवन में प्रारंभ की गयी हैं । इस संस्था में तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत निम्न ट्रेड में शिक्षा प्रदान की जाती है ।

ब्रांच का नाम	प्रवेश क्षमता
कम्प्यूटर सांइस एण्ड इंजीनियरिंग	40
योग	40

20- राजकीय पालीटेक्निक गोपेश्वर :-

इस संस्था की स्थापना चमोली जिले के गोपेश्वर में की जा रही है । जुलाई 2006 से इस पालीटेक्निक में प्रवेश प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है । शासनादेश संख्या 371/xxiv(8)/2005-06/2005 दिनांक 06 फरवरी 2006 से इस महिला पालीटेक्निक के लिए पदों के सृजन के संबंध में शासनादेश जारी किया जा चुका है । उक्त पालीटेक्निक की कक्षायें राजकीय महिला पालीटेक्निक धिंघराण, गोपेश्वर में शुरू की गयी है । इस संस्था में तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत निम्न ट्रेड में शिक्षा प्रदान की जा रही है ।

ब्रांच का नाम	प्रवेश क्षमता
सूचना प्रौद्योगिकी	40
योग	40

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005, मैनुअल संख्या-1

21- राजकीय पालीटेक्निक नई टिहरी :-

इस संस्था की स्थापना जनपद टिहरी के अंतर्गत नई टिहरी में की गयी है । जुलाई 2006 से उक्त संस्था में प्रवेश प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है । शासनादेश संख्या 739/xxiv(8)/2006-63/2005 दिनांक 20 फरवरी 2006 के द्वारा उक्त संस्था के लिए पदों के सृजन के संबंध में शासनादेश भी जारी किया जा चुका है । इस संस्था में तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत निम्न ट्रेड में शिक्षा प्रदान की जा रही है । उक्त पालीटेक्निक की कक्षायें नई टिहरी में चल रही हैं ।

ब्रांच का नाम	प्रवेश क्षमता
इलेक्ट्रीकल इंजी0	40
योग	40

22- राजकीय पालीटेक्निक गढ़ी श्यामपुर :-

इस संस्था की स्थापना जनपद देहरादून के अंतर्गत गढ़ी श्यामपुर (ऋषिकेश) में की जा रही है । जुलाई 2006 से उक्त संस्था में प्रवेश प्रारंभ कर दिये गये हैं । उक्त संस्था की कक्षायें वर्तमान वर्ष से राजकीय पालीटेक्निक गढ़ी श्यामपुर में चल रही हैं । शासनादेश संख्या 585/xxiv(8)/2006-21/2006 दिनांक 11 सितम्बर 2006 के द्वारा उक्त संस्था के लिए पदों के सृजन के संबंध में शासनादेश जारी किया जा चुका है । तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत निम्न ट्रेड में शिक्षा प्रदान की जा रही है ।

1- इलेक्ट्रीकल इंजी0	40
योग	40

23- राजकीय पालीटेक्निक साहिया, देहरादून :-

इस संस्था की स्थापना जनपद देहरादून में की गयी है । उक्त संस्था में जुलाई 2006 से प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है । उक्त पाली0 की कक्षायें राजकीय पालीटेक्निक साहिया, देहरादून में अपने मूल स्थान पर किराये के भवन में चल रही हैं । तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत उक्त संस्था में निम्न ट्रेड में शिक्षा प्रदान की जा रही है ।

ब्रांच का नाम	प्रवेश क्षमता
मैकेनिकल इंजीनियरिंग	40
योग	40

24- राजकीय पालीटेक्निक बीरोंखाल जिला-पौड़ी गढ़वाल :-

इस संस्था की स्थापना जनपद पौड़ी गढ़वाल के नाकुरी, बीरोंखाल नामक स्थान पर की गयी है । शासनादेश संख्या 370/xxiv(8)/2005-07/2005 दिनांक 12 जनवरी 2006 द्वारा उक्त संस्था के लिए पदों के सृजन के संबंध में शासनादेश भी जारी किया जा चुका है । तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत उक्त संस्था में निम्न ट्रेड में शिक्षा प्रदान की जा रही है ।

ब्रांच का नाम	प्रवेश क्षमता
सिविल इंजीनियरिंग	40
योग	40

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005, मैनुअल संख्या-1

25- राजकीय पालीटेक्निक गणाई गंगोली(पिथौरागढ़) :-

इस संस्था की स्थापना वर्ष 2006 में पिथौरागढ़ जिले के गणाई गंगोली नामक स्थान पर की गयी है। जुलाई 2006 से उक्त संस्था में प्रवेश प्रारंभ कर दिये गये हैं। उक्त संस्था के लिए पदों के सृजन के संबंध में शासनादेश 555/xxiv(8)/06-01/2006 दिनांक 22 अगस्त 2006, भी जारी किया जा चुका है। उक्त संस्था की कक्षायें राजकीय पालीटेक्निक गणाई गंगोली जिला पिथौरागढ़ में चल रही हैं। तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत उक्त संस्था में निम्न ट्रेड में शिक्षा प्रदान की जा रही है।

ब्रांच का नाम	प्रवेश क्षमता
आई0टी0	40
मैकेनिकल इंजी0	25
योग	65

26- राजकीय पालीटेक्निक गरुड़ :-

इस संस्था की स्थापना वर्ष 2006 में बागेश्वर जिले के गरुड़ नामक स्थान पर की गयी है। जुलाई 2006 से उक्त संस्था में प्रवेश प्रारंभ कर दिये गये हैं। पदों के सृजन के संबंध में शासनादेश भी जारी किया जा चुका है। उक्त पालीटेक्निक की कक्षायें राजकीय पालीटेक्निक गरुड़ में किराये के भवन में प्रारंभ की गयी हैं। तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत उक्त संस्था में निम्न ट्रेड में शिक्षा प्रदान की जा रही है।

ब्रांच का नाम	प्रवेश क्षमता
मैकेनिकल इंजी0(प्रोडक्शन)	40
योग	40

27:- राजकीय पालीटेक्निक काण्डा बागेश्वर :-

इस संस्था की स्थापना वर्ष 2006 में बागेश्वर जिले के कांडा नामक स्थान पर की गयी है। जुलाई 2006 से उक्त संस्था में प्रवेश प्रारंभ कर दिये गये हैं। पदों के सृजन के संबंध में शासनादेश भी जारी किया जा चुका है। उक्त पालीटेक्निक की कक्षायें राजकीय पालीटेक्निक कांडा, जिला बागेश्वर में किराये के भवन में चल रही है जमीन की तलाश जारी है। तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत उक्त संस्था में निम्न ट्रेड में शिक्षा प्रदान की जा रही है।

ब्रांच का नाम	प्रवेश क्षमता
मैकेनिकल इंजीनियरिंग(प्रोडक्शन)	40
योग	40

28:- राजकीय पालीटेक्निक कालाढूंगी :- इस संस्था की स्थापना वर्ष 2006 में नैनीताल जिले के कालाढूंगी नामक स्थान पर की गयी है। जुलाई 2006 से उक्त संस्था में प्रवेश प्रारंभ कर दिये गये हैं। शासनादेश संख्या 478/xxiv(8)/2006-02/2006 दिनांक 01 जून 2006 के द्वारा उक्त पालीटेक्निक की स्थापना व पदों के संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है। उक्त पालीटेक्निक की कक्षायें राजकीय पालीटेक्निक कालाढूंगी में किराये के भवन में चल रही हैं। तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत उक्त संस्था में निम्न ट्रेड में शिक्षा प्रदान की जा रही है।

ब्रांच का नाम	प्रवेश क्षमता
कम्प्यूटर साइंस एंड इंजी0	40
योग	40

29. राजकीय पालीटेक्निक आमवाला, जिला-देहरादून :- उक्त पालीटेक्निक की स्थापना वर्ष 21 दिसम्बर 2006 के शासनादेश से वर्ष 2006-07 से की गयी थी पदों के संबंध में शासनादेश दिनांक 17 जून 2008 को जारी किया गया है। उक्त पालीटेक्निक की कक्षाएं इस वर्ष से मिलन केन्द्र ग्राम सभा ननूरखेड़ा आमवाला देहरादून में किराये के भवन में चल रही है। तकनीकी शिक्षा के

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005, मैनुअल संख्या-1

अंतर्गत उक्त संस्था में इलेक्ट्रानिक्स पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है ।

ब्रांच का नाम	प्रवेश क्षमता
इलेक्ट्रानिक्स इंजी0	40

30. राजकीय पालीटेक्निक विकासनगर, जिला-देहरादून :- उक्त पालीटेक्निक की स्थापना वर्ष 21 दिसम्बर 2006 के शासनादेश से वर्ष 2006-07 से की गयी थी । पदों के संबंध में पदों के संबंध में शासनादेश दिनांक 17 जून 2008 को जारी किया गया है तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत उक्त संस्था में इलेक्ट्रानिक्स व विद्युत पाठ्यक्रम हेतु पदों का सृजन किया गया है। लेकिन वर्तमान में उक्त पालीटेक्निक में इलेक्ट्रानिक्स पाठ्यक्रम चल रहा है। उक्त पालीटेक्निक की कक्षाएं इस वर्ष से किराये के भवन में व्यावसायिक शिक्षा परिसर, राजकीय महाविद्यालय डाकपत्थर, देहादून में चल रही हैं । तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत उक्त संस्था में इलेक्ट्रानिक्स पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है ।

ब्रांच का नाम	प्रवेश क्षमता
इलेक्ट्रानिक्स इंजी0	40

31. राजकीय पालीटेक्निक हरिद्वार (सिडकुल/रोशनाबाद)- उक्त पालीटेक्निक की स्थापना वर्ष 21 दिसम्बर 2006 के शासनादेश से वर्ष 2006-07 से की गयी थी । पदों के संबंध में पदों के संबंध में शासनादेश दिनांक 17 जून 2008 को जारी किया गया है । तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत उक्त संस्था में इलेक्ट्रानिक्स व फार्मैसी पाठ्यक्रम हेतु पदों का सृजन किया गया है लेकिन वर्तमान में इलेक्ट्रानिक्स पाठ्यक्रम चल रहा है। वर्तमान में उक्त पालीटेक्निक की कक्षाएं किराये के भवन में चल रही है । तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत उक्त संस्था में इलेक्ट्रानिक्स पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है ।

ब्रांच का नाम	प्रवेश क्षमता
इलेक्ट्रानिक्स इंजी0	40

32. राजकीय पालीटेक्निक सिडकुल पंतनगर, उधम सिंह नगर :- उक्त पालीटेक्निक की स्थापना वर्ष 21 दिसम्बर 2006 के शासनादेश से वर्ष 2006-07 से की गयी थी । पदों के संबंध में शासनादेश दिनांक 17 जून 2008 को जारी किया गया है । तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत उक्त संस्था में इलेक्ट्रानिक्स इंजी0पाठ्यक्रम चल रहा है । वर्तमान में उक्त पालीटेक्निक की कक्षाएं किराये के भवन में चल रही है । निम्न ब्रांच में शिक्षा प्रदान की जा रही है ।

ब्रांच का नाम	प्रवेश क्षमता
इलेक्ट्रानिक्स इंजी0	40

33. राजकीय पालीटेक्निक चौनलियां, जिला-अल्मोड़ा :- उक्त पालीटेक्निक की स्थापना वर्ष 21 दिसम्बर 2006 के शासनादेश से वर्ष 2006-07 से की गयी थी । पदों के संबंध में पदों के संबंध में शासनादेश दिनांक 17 जून 2008 को जारी किया गया है । तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत उक्त संस्था में एम0ओ0एम0एस0पी0 तथा विद्युत पाठ्यक्रम हेतु पदों का शासनादेश किया गया है लेकिन वर्तमान में एम0ओ0एम0 एस0पी0पाठ्यक्रम चल रहा है उक्त पालीटेक्निक की कक्षाएं चौनलियां,जिला- अल्मोड़ा, में किराये के भवन में संचालित की जा रही है। तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत निम्न ब्रांच में शिक्षा प्रदान की जा रही है -

ब्रांच का नाम	प्रवेश क्षमता
एम0ओ0एम0एस0पी0	40

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005, मैनुअल संख्या-1

34. राजकीय पालीटेक्निक मल्ला सालम, जिला-अल्मोड़ा :- उक्त पालीटेक्निक की स्थापना 21 दिसम्बर 2006 के शासनादेश से वर्ष 2006-07 से की गयी थी । पदों के संबंध में शासनादेश दिनांक 17 जून 2008 को जारी किया गया है । तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत उक्त संस्था में कम्प्यूटर साइंस एवं इंजी0 तथा विद्युत पाठ्यक्रम हेतु पदों का सृजन किया गया है । उक्त पालीटेक्निक की कक्षाएं अपने मूल स्थान मल्ला सालम , ग्राम-कनरा, पोस्ट-चायखान, अल्मोड़ा पर ही किराये के भवन में संचालित की जा रही है । 0

ब्रांच का नाम	प्रवेश क्षमता
कम्प्यूटर साइंस एंड इंजी.	40

35. राजकीय पालीटेक्निक कनालीछीना, जिला-पिथौरागढ़ :- उक्त पालीटेक्निक की स्थापना 21 दिसम्बर 2006 के शासनादेश से वर्ष 2006-07 में की गयी थी । पदों के संबंध में शासनादेश दिनांक 17 जून 2008 को जारी किया गया है । तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत उक्त संस्था में मैकेनिकल एवं विद्युत पाठ्यक्रम चलाये जा रहे हैं । उक्त पालीटेक्निक की कक्षाएं अपने मूल स्थान कनालीछीना में किराये के भवन में चल रही हैं । वर्तमान में तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत निम्न ब्रांच में शिक्षा प्रदान की जा रही है :-

ब्रांच का नाम	प्रवेश क्षमता
इलेक्ट्रीकल इंजी0	40

36. राजकीय पालीटेक्निक डीडीहाट, जिला-पिथौरागढ़ :-

उक्त संस्था की स्थापना डीडीहाट में वर्ष 2009 में की गयी है । पदों के सृजन का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है । वर्ष 2009-10 से उक्त संस्था में छात्र/छात्राओं को प्रवेश दिये गये हैं । तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत उक्त संस्था में एम0ओ0एम0एस0पी0 पाठ्यक्रम चल रहा है ।

ब्रांच का नाम	प्रवेश क्षमता
एम0ओ0एम0एस0पी0	40

37. राजकीय पालीटेक्निक जखोली, जिला-रूद्रप्रयाग - उक्त संस्था की स्थापना वर्ष 2009 में की गयी है वर्ष 2009-10 से उक्त संस्था में प्रवेश दिये गये हैं । तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत निम्न ब्रांच में शिक्षा प्रदान की जा रही है ।

ब्रांच का नाम	प्रवेश क्षमता
सूचना प्रौद्योगिकी	40

38- राजकीय पालीटेक्निक मूनाकोट, पिथौरागढ़ । - उक्त संस्था की स्थापना वर्ष 2011 में की गयी है वर्ष 2011-12 से उक्त संस्था में प्रवेश दिये गये हैं वर्तमान में कक्षायें रा0पा0 लोहघाट में संचालित की जा रही हैं । तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत निम्न ब्रांच में शिक्षा प्रदान की जा रही है ।

ब्रांच का नाम	प्रवेश क्षमता
सिविल इंजी0	40

39- राजकीय पालीटेक्निक हिन्दोलाखाल, टिहरी गढ़वाल ।

उक्त संस्था की स्थापना वर्ष 2011 में की गयी है वर्ष 2011-12 से उक्त संस्था में प्रवेश दिये गये हैं । तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत निम्न ब्रांच में शिक्षा प्रदान की जा रही है ।

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005, मैनुअल संख्या-1

ब्रांच का नाम	प्रवेश क्षमता
मैकेनिकल इंजी०	40

40. राजकीय पालीटेक्निक कपकोट, बागेश्वर ।

उक्त संस्था की स्थापना वर्ष 2011 में की गयी है वर्ष 2011-12 से उक्त संस्था में प्रवेश दिये गये हैं । तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत निम्न ब्रांच में शिक्षा प्रदान की जा रही है ।

ब्रांच का नाम	प्रवेश क्षमता
एम०ओ०एम०एस०पी०	40

41- राजकीय पालीटेक्निक बड़कोट, उत्तरकाशी ।

उक्त संस्था की स्थापना वर्ष 2011 में की गयी है वर्ष 2011-12 से उक्त संस्था में प्रवेश दिये गये हैं । तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत निम्न ब्रांच में शिक्षा प्रदान की जा रही है ।

ब्रांच का नाम	प्रवेश क्षमता
सिविल	40

42. राजकीय पालीटेक्निक टनकपुर (चम्पावत) ।

उक्त संस्था की स्थापना वर्ष 2013 में की गयी है वर्ष 2013-14 से उक्त संस्था में प्रवेश दिये गये हैं । तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत निम्न ब्रांच में शिक्षा प्रदान की जा रही है ।

ब्रांच का नाम	○ प्रवेश क्षमता
1-सिविल	25
2-कम्प्यूटर साइंस	25

43. राजकीय पालीटेक्निक खटीमा (उधमसिंह नगर) ।

उक्त संस्था की स्थापना वर्ष 2013 में की गयी है वर्ष 2013-14 से उक्त संस्था में प्रवेश दिये गये हैं । तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत निम्न ब्रांच में शिक्षा प्रदान की जा रही है ।

ब्रांच का नाम	○ प्रवेश क्षमता
1-सिविल	25
2-इलैक्ट्रीकल इंजी०	25

44. राजकीय पालीटेक्निक कुलसारी (चमोली) ।

उक्त संस्था की स्थापना वर्ष 2013 में की गयी है वर्ष 2013-14 से उक्त संस्था में प्रवेश दिये गये हैं । तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत निम्न ब्रांच में शिक्षा प्रदान की जा रही है ।

ब्रांच का नाम	○ प्रवेश क्षमता
---------------	-----------------

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005, मैनुअल संख्या-1

1-सिविल	25
---------	----

45. राजकीय पालीटेक्निक प्रतापनगर (नई टिहरी) ।

उक्त संस्था की स्थापना वर्ष 2013 में की गयी है वर्ष 2013-14 से उक्त संस्था में प्रवेश दिये गये हैं । तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत निम्न ब्रांच में शिक्षा प्रदान की जा रही है ।

ब्रांच का नाम	○ प्रवेश क्षमता
1-सिविल	25

46. राजकीय पालीटेक्निक दनिया (अल्मोड़ा) ।

उक्त संस्था की स्थापना वर्ष 2013 में की गयी है वर्ष 2013-14 से उक्त संस्था में प्रवेश दिये गये हैं । तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत निम्न ब्रांच में शिक्षा प्रदान की जा रही है ।

ब्रांच का नाम	○ प्रवेश क्षमता
1-सिविल	25

47. राजकीय पालीटेक्निक गजा (टिहरी) ।

उक्त संस्था की स्थापना वर्ष 2013 में की गयी है वर्ष 2013-14 से उक्त संस्था में प्रवेश दिये गये हैं । तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत निम्न ब्रांच में शिक्षा प्रदान की जा रही है ।

ब्रांच का नाम	○ प्रवेश क्षमता
1-सिविल	25

48. राजकीय पालीटेक्निक भलस्वागाज (हरिद्वार) ।

उक्त संस्था की स्थापना वर्ष 2013 में की गयी है वर्ष 2013-14 से उक्त संस्था में प्रवेश दिये गये हैं । तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत निम्न ब्रांच में शिक्षा प्रदान की जा रही है ।

ब्रांच का नाम	○ प्रवेश क्षमता
1-मैकेनिकल	25

49. राजकीय पालीटेक्निक बाजपुर (उधमसिंह नगर) ।

उक्त संस्था की स्थापना वर्ष 2013 में की गयी है वर्ष 2013-14 से उक्त संस्था में प्रवेश दिये गये हैं । तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत निम्न ब्रांच में शिक्षा प्रदान की जा रही है ।

ब्रांच का नाम	○ प्रवेश क्षमता
1-मैकेनिकल	25

50. राजकीय पालीटेक्निक जाखणीधार (टिहरी) ।

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005, मैनुअल संख्या-1

उक्त संस्था की स्थापना वर्ष 2013 में की गयी है वर्ष 2013-14 से उक्त संस्था में प्रवेश दिये गये हैं । तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत निम्न ब्रांच में शिक्षा प्रदान की जा रही है ।

ब्रांच का नाम	○ प्रवेश क्षमता
1- कम्प्यूटर साइंस	25

51. राजकीय पालीटेक्निक गैरसेण (चमोली) ।

उक्त संस्था की स्थापना वर्ष 2013 में की गयी है वर्ष 2013-14 से उक्त संस्था में प्रवेश दिये गये हैं । तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत निम्न ब्रांच में शिक्षा प्रदान की जा रही है ।

ब्रांच का नाम	○ प्रवेश क्षमता
1- इलैक्ट्रीकल	25

52. राजकीय पालीटेक्निक पीरूमदारा रामनगर (नैनीताल) ।

उक्त संस्था की स्थापना वर्ष 2013 में की गयी है वर्ष 2013-14 से उक्त संस्था में प्रवेश दिये गये हैं । तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत निम्न ब्रांच में शिक्षा प्रदान की जा रही है ।

ब्रांच का नाम	○ प्रवेश क्षमता
1- इलैक्ट्रीकल	25

53. राजकीय पालीटेक्निक क्वांसी, चकराता (देहरादून) ।

उक्त संस्था की स्थापना वर्ष 2013 में की गयी है वर्ष 2013-14 से उक्त संस्था में प्रवेश दिये गये हैं । तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत निम्न ब्रांच में शिक्षा प्रदान की जा रही है ।

ब्रांच का नाम	○ प्रवेश क्षमता
1- इलैक्ट्रीकल	25

54. राजकीय पालीटेक्निक चोपता (रूद्रप्रयाग) ।

उक्त संस्था की स्थापना वर्ष 2014 में की गयी है वर्ष 2014-15 से उक्त संस्था में प्रवेश दिये गये हैं । तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत निम्न ब्रांच में शिक्षा प्रदान की जा रही है ।

ब्रांच का नाम	○ प्रवेश क्षमता
1- सिविल	25

55. राजकीय पालीटेक्निक चम्पावत ।

उक्त संस्था की स्थापना वर्ष 2014 में की गयी है वर्ष 2014-15 से उक्त संस्था में प्रवेश दिये गये हैं । तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत निम्न ब्रांच में शिक्षा प्रदान की जा रही है ।

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005, मैनुअल संख्या-1

ब्रांच का नाम	○ प्रवेश क्षमता
1- इलैक्ट्रॉनिक्स	25

56. राजकीय पालीटेक्निक बांस (पिथौरागढ़) ।

उक्त संस्था की स्थापना वर्ष 2014 में की गयी है वर्ष 2014-15 से उक्त संस्था में प्रवेश दिये गये हैं । तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत निम्न ब्रांच में शिक्षा प्रदान की जा रही है ।

ब्रांच का नाम	○ प्रवेश क्षमता
1- सिविल	25

57. राजकीय पालीटेक्निक जैंती (अल्मोड़ा) ।

उक्त संस्था की स्थापना वर्ष 2014 में की गयी है वर्ष 2014-15 से उक्त संस्था में प्रवेश दिये गये हैं । तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत निम्न ब्रांच में शिक्षा प्रदान की जा रही है ।

ब्रांच का नाम	○ प्रवेश क्षमता
1- सिविल	25

58. राजकीय पालीटेक्निक पौडी ।

उक्त संस्था की स्थापना वर्ष 2014 में की गयी है वर्ष 2014-15 से उक्त संस्था में प्रवेश दिये गये हैं । तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत निम्न ब्रांच में शिक्षा प्रदान की जा रही है ।

ब्रांच का नाम	○ प्रवेश क्षमता
1- मैकेनिकल	25

59. राजकीय पालीटेक्निक पाबौ (पौड़ी गढ़वाल) ।

उक्त संस्था की स्थापना वर्ष 2014 में की गयी है वर्ष 2014-15 से उक्त संस्था में प्रवेश दिये गये हैं । तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत निम्न ब्रांच में शिक्षा प्रदान की जा रही है ।

ब्रांच का नाम	○ प्रवेश क्षमता
1- इलैक्ट्रीकल	25

60. राजकीय पालीटेक्निक बांसबगड़ तल्लाजौहर (पिथौरागढ़) ।

उक्त संस्था की स्थापना वर्ष 2014 में की गयी है वर्ष 2014-15 से उक्त संस्था में प्रवेश दिये गये हैं । तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत निम्न ब्रांच में शिक्षा प्रदान की जा रही है ।

ब्रांच का नाम	○ प्रवेश क्षमता
1- सिविल	25

61. राजकीय पालीटेक्निक बेरीनाग (पिथौरागढ़) ।

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005, मैनुअल संख्या-1

उक्त संस्था की स्थापना वर्ष 2014 में की गयी है वर्ष 2014-15 से उक्त संस्था में प्रवेश दिये गये हैं । तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत निम्न ब्रांच में शिक्षा प्रदान की जा रही है ।

ब्रांच का नाम	○ प्रवेश क्षमता
1- इलैक्ट्रॉनिक्स	25

62. राजकीय पालीटेक्निक बरम (पिथौरागढ़)।

उक्त संस्था की स्थापना वर्ष 2014 में की गयी है वर्ष 2014-15 से उक्त संस्था में प्रवेश दिये गये हैं । तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत निम्न ब्रांच में शिक्षा प्रदान की जा रही है ।

ब्रांच का नाम	○ प्रवेश क्षमता
1- इलैक्ट्रीकल	25

63. राजकीय पालीटेक्निक बछेलीखाल (टिहरी गढ़वाल)।

उक्त संस्था की स्थापना वर्ष 2014 में की गयी है वर्ष 2014-15 से उक्त संस्था में प्रवेश दिये गये हैं । तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत निम्न ब्रांच में शिक्षा प्रदान की जा रही है ।

ब्रांच का नाम	○ प्रवेश क्षमता
1- मैकेनिकल	25

64. राजकीय पालीटेक्निक पिपली (उत्तरकाशी)।

उक्त संस्था की स्थापना वर्ष 2014 में की गयी है वर्ष 2014-15 से उक्त संस्था में प्रवेश दिये गये हैं । तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत निम्न ब्रांच में शिक्षा प्रदान की जा रही है ।

ब्रांच का नाम	○ प्रवेश क्षमता
1- इलैक्ट्रीकल	25

65. राजकीय पालीटेक्निक चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।

उक्त संस्था की स्थापना वर्ष 2014 में की गयी है वर्ष 2014-15 से उक्त संस्था में प्रवेश दिये गये हैं । तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत निम्न ब्रांच में शिक्षा प्रदान की जा रही है ।

ब्रांच का नाम	○ प्रवेश क्षमता
1- सिविल	25

66. राजकीय पालीटेक्निक जोशीमठ (चमोली)।

उक्त संस्था की स्थापना वर्ष 2014 में की गयी है वर्ष 2014-15 से उक्त संस्था में प्रवेश दिये गये हैं । तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत निम्न ब्रांच में शिक्षा प्रदान की जा रही है ।

ब्रांच का नाम	○ प्रवेश क्षमता
1- इलैक्ट्रीकल	25

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005, मैनुअल संख्या-1

67. राजकीय पालीटेक्निक पोखरी (चमोली)।

उक्त संस्था की स्थापना वर्ष 2014 में की गयी है वर्ष 2014-15 से उक्त संस्था में प्रवेश दिये गये हैं। तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत निम्न ब्रांच में शिक्षा प्रदान की जा रही है।

ब्रांच का नाम	○ प्रवेश क्षमता
1- इलैक्ट्रीकल	25

68. राजकीय पालीटेक्निक बाडेछीना (अल्मोड़ा)।

उक्त संस्था की स्थापना वर्ष 2014 में की गयी है वर्ष 2014-15 से उक्त संस्था में प्रवेश दिये गये हैं। तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत निम्न ब्रांच में शिक्षा प्रदान की जा रही है।

ब्रांच का नाम	○ प्रवेश क्षमता
1- इलैक्ट्रीकल	25

69. राजकीय पालीटेक्निक भीमताल (नैनीताल)।

उक्त संस्था की स्थापना वर्ष 2014 में की गयी है वर्ष 2014-15 से उक्त संस्था में प्रवेश दिये गये हैं। तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत निम्न ब्रांच में शिक्षा प्रदान की जा रही है।

ब्रांच का नाम	○ प्रवेश क्षमता
1- सिविल	25

70. राजकीय पालीटेक्निक काण्डीखाल (टिहरी गढ़वाल)।

उक्त संस्था की स्थापना वर्ष 2014 में की गयी है वर्ष 2014-15 से उक्त संस्था में प्रवेश दिये गये हैं। तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत निम्न ब्रांच में शिक्षा प्रदान की जा रही है।

ब्रांच का नाम	○ प्रवेश क्षमता
1- सिविल	25

इसके साथ ही समस्त पालीटेक्निकों में प्रधानाचार्य के नियंत्रण में समस्त स्टाफ अध्यक्ष, व्याख्याता से लेकर कार्यालय स्टाफ तक रहता है। राजकीय पालीटेक्निकों में प्रधानाचार्य आहरण वितरण अधिकारी होते हैं। प्रधानाचार्य, निदेशक व संयुक्त निदेशक के निर्देशानुसार कार्य करते हैं। निदेशालय के द्वारा ही पालीटेक्निकों को बजट का आवंटन किया जाता है।

प्राविधिक शिक्षा निदेशालय में स्वीकृत, भरे एवं रिक्त पदों का विवरण

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005, मैनुअल संख्या-1

क्र० सं०	श्रेणी एवं पदनाम	वेतनमान	स्वीकृत पदों की संख्या	भरे	रिक्त
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	निदेशक	37400-67000, 10000	1	0	1
2	अपर निदेशक	37400-67000, 8700	1	1	0
3	संयुक्त निदेशक	15600-39100, 7600	1	1	0
4	वित्त नियन्त्रक	15600-39100, 7600	1	1	0
5	उप निदेशक	15600-39100, 6600	2	2	0
6	वैयक्तिक अधिकारी	9300-34800, 4600	1	0	1
7	वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक	9300-34800, 4200	1	0	1
8	वैयक्तिक सहायक	5200-20200, 2800	1	1	0
9	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	9300-34800, 4800	1	1	0
10	प्रशासनिक अधिकारी	9300-34800, 4600	2	0	2
11	ज्येष्ठ लेखा परीक्षक	-तदैव-	1	0	1
12	सहायक लेखाकार	5200-20200, 2800	2	1	1
13	प्रधान सहायक	9300-34800, 4200	2	2	0
14	वरिष्ठ सहायक	5200-20200, 2800	1	0	1
15	कनिष्ठ सहायक	5200-20200, 2000	3	1	2
16	वाहन चालक	5200-20200, 1900	2	0	2
17	चतुर्थ श्रेणी	4440-7440, 1800	2	2	0
18	स्वच्छक/चौकीदार/माली/ अन्य चतुर्थ श्रेणी कार्मिक	- आउट सोर्सिंग के माध्यम से	0	0	0
योग			25	13	12

उत्तराखण्ड की राजकीय पालीटेक्निक संस्थाओं में स्वीकृत, भरे एवं रिक्त पदों का विवरण (दिनांक 30.04.2015 तक)

क्र०सं०	पदनाम	वेतनमान/ग्रेडवेतन	स्वीकृत	भरे	रिक्त
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
●	प्रधानाचार्य	15600-39100, 7600	76	18	58
1	अध्यक्ष सिविल	15600-39100, 6600	41	0	41
2	अध्यक्ष इलैक्ट्रोनिक्स	-तदैव-	31	12	19
3	अध्यक्ष विद्युत	-तदैव-	26	4	22
4	अध्यक्ष यांत्रिक	-तदैव-	20	4	16
5	अध्यक्ष CE/CSE/PGDCA	-तदैव-	27	10	17
6	अध्यक्ष आई०टी०	-तदैव-	15	0	15
7	अध्यक्ष MOM\$SP	-तदैव-	11	1	10
8	अध्यक्ष फार्मेसी	-तदैव-	11	9	2
9	अध्यक्ष कृषि	-तदैव-	1	0	1

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005, मैनुअल संख्या-1

10	अध्यक्ष आई0डी0डी0	-तदैव-	1	1	0
11	अध्यक्ष ऑटो	-तदैव-	2	0	2
12	अध्यक्ष कैमिकल	-तदैव-	2	1	1
13	अध्यक्ष रबर एण्ड प्लास्टिक	-तदैव-	1	0	1
14	अध्यक्ष बेसिक साइंस	-तदैव-	69	7	62
15	अध्यक्ष अंग्रेजी	-तदैव-	3	1	2
16	अध्यक्ष इन्स्ट्रुमेंटेशन एण्ड कन्ट्रोल इंजी0	-तदैव-	1	0	1
Σ	योग समूह-"क"	-	338	68	270
1	व्याख्याता सिविल	15600-39100, 5400	125	11	114
2	व्याख्याता इलैक्ट्रॉनिक्स	-तदैव-	94	26	68
3	व्याख्याता विद्युत	-तदैव-	84	10	74
4	व्याख्याता यांत्रिक	-तदैव-	70	13	57
5	व्याख्याता CE/CSE/PGDCA	-तदैव-	77	20	57
6	व्याख्याता आई0टी0	-तदैव-	51	9	42
7	व्याख्याता MOM\$SP	-तदैव-	34	5	29
8	व्याख्याता फार्मसी	-तदैव-	51	35	16
9	व्याख्याता कृषि	-तदैव-	3	2	1
10	व्याख्याता आई0डी0डी0	-तदैव-	3	1	2
11	व्याख्याता ऑटो	-तदैव-	6	0	6
12	व्याख्याता कैमिकल	-तदैव-	6	2	4
13	व्याख्याता रबर एण्ड प्लास्टिक	-तदैव-	3	0	3
14	व्याख्याता रसायन	-तदैव-	77	15	62
15	व्याख्याता भौतिकी	-तदैव-	77	4	73
16	व्याख्याता गणित	-तदैव-	77	20	57
17	व्याख्याता अंग्रेजी	-तदैव-	75	13	62
18	व्याख्याता इन्स्ट्रुमेंटेशन एण्ड कन्ट्रोल इंजी0	-तदैव-	3	0	3
19	कर्मशाला अधीक्षक	-तदैव-	29	3	26
Σ	योग समूह-"ख"	-	945	189	756
1	कनिष्ठ व्याख्याता भाषा	9300-34800, 4200	2	0	2
2	कनिष्ठ व्याख्याता भौतिकी	-तदैव-	2	0	2
3	कनिष्ठ व्याख्याता रसायन	-तदैव-	2	0	2
4	कनिष्ठ व्याख्याता कॉमर्सियल प्रैक्टिस	-तदैव-	3	0	3
5	कनिष्ठ व्याख्याता स्टैनोग्राफी	-तदैव-	4	0	4
6	कनिष्ठ व्याख्याता फार्मसी	-तदैव-	12	0	12
7	सहायक प्रवक्ता सिविल	-तदैव-	15	3	12
8	सहायक प्रवक्ता यांत्रिक	-तदैव-	16	3	13

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005, मैनुअल संख्या-1

9	सहायक प्रवक्ता विद्युत	-तदैव-	10	0	10
10	सहायक प्रवक्ता इलैक्ट्रॉनिक्स	-तदैव-	14	0	14
11	सहायक प्रवक्ता ऑटो	-तदैव-	2	0	2
12	सहायक प्रवक्ता कैमिकल	-तदैव-	1	0	1
13	कर्मशाला अनुदेशक	-तदैव-	291	152	139
14	कला अनुदेशक	-तदैव-	15	6	9
15	इन्सट्रूमेंट रिपेयर	5200-20200, 2800	4	1	3
16	अनुदेशक भाषा	-तदैव-	2	0	2
17	अनुदेशक स्टैनोग्राफी	-तदैव-	12	6	6
18	अनुदेशक कॉमर्सियल प्रैक्टिस	-तदैव-	5	1	4
19	CNC मशीन ऑपरेटर	-तदैव-	2	0	2
20	कम्प्यूटर प्रोग्रामर/ऑपरेटर	-तदैव-	79	5	74
21	पुस्तकालयाध्यक्ष	-तदैव-	75	17	58
22	प्रयोगशाला सहायक फार्मसी	5200-20200, 2000	22	18	4
23	मोटर ड्राइवर कम मैकेनिक	-तदैव-	2	1	1
24	टाईपराईटर मैकेनिक	5200-20200, 1900	3	2	1
25	ऑफिस ड्राफ्समैन	9300-34800, 4200	3	3	0
26	प्रशासनिक अधिकारी	9300-34800, 4600	23	12	11
27	प्रधान सहायक	9300-34800, 4200	72	9	63
28	लेखाकार	9300-34800, 4200	6	3	3
29	वरिष्ठ सहायक	5200-20200, 2800	80	18	62
30	सहायक लेखाकार	5200-20200, 2800	51	9	42
31	कनिष्ठ सहायक	5200-20200, 2000	112	66	46
32	कनिष्ठ सहायक (आउट सोर्सिंग)	-	6	2	4
33	कनिष्ठ लेखा सहायक	5200-20200, 2000	5	0	5
34	कनिष्ठ सहायक/कम्प्यूटर ऑपरेटर	5200-20200, 2000	25	0	25
35	कनिष्ठ सहायक/कम्प्यू0ऑप0 (आउटसोर्स)	-	18	18	0
36	आशुलिपिक/वैयक्तिक सहायक ग्रेडवेतन-2800/2400	5200-20200, 2800	76	20	56
39	ड्राइवर	5200-20200, 1900	2	2	0
40	इलैक्ट्रीशियन	5200-20200, 2000	1	1	0
Σ	योग समूह-"ग"	-	1075	378	697
1	दफ्तरी	5200-20200, 1800	9	0	9
2	चपरासी आउटसोर्स	-	22	22	0
3	चौकीदार आउटसोर्स	-	30	30	0
4	माली आउटसोर्स	-	10	0	10

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005, मैनुअल संख्या-1

5	चपरासी / चौकीदार / अर्दली	-तदैव-	327	147	180
6	चतुर्थ श्रेणी (आउटसोर्स)	-	68	51	17
7	स्वीपर	5200-20200, 1800	37	16	21
8	स्वीपर (पार्ट टाइम)	-	45	24	21
Σ	योग समूह-"घ"	-	548	290	258
Σ	महायोग "क","ख","ग" व "घ"	-	2906	925	1981

"संयुक्त प्रवेश परीक्षा एवं प्रशिक्षण अनुसंधान विकास प्रकोष्ठ में
स्वीकृत, भरे एवं रिक्त पदों का विवरण"

क्र० सं०	श्रेणी एवं पदनाम	वेतनमान	स्वीकृत पदों की संख्या	भरे	रिक्त
1	संयुक्त सचिव	15600-39100, 7600	1	1	0
2	उप सचिव	15600-39100, 6600	1	1	0
3	सहायक सचिव	15600-39100, 5400	1	1	0
7	आशुलिपिक / कन्सोल आपरेटर	9300-34800, 4200	1	0	1
8	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	9300-34800, 4200	2	0	2
9	वरिष्ठ सहायक / सह कन्सोल आपरेटर	9300-34800, 4200	1	1	0
11	लेखाकार	9300-34800, 4200	1	0	1
12	लिपिक बिल क्लर्क / डाटा एन्ट्री आपरेटर	5200-20200, 1900	4	0	4
14	वाहन चालक	5200-20200, 1900	3	2	1
15	चतुर्थ श्रेणी	5200-20200, 1800	4	0	4
16	चौकीदार	5200-20200, 1800	1	0	1
Σ	योग		20	6	14

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005, मैनुअल संख्या-1

"प्राविधिक शिक्षा परिषद, रुड़की में स्वीकृत, भरे एवं रिक्त पदों का विवरण"

क्र० सं०	श्रेणी एवं पदनाम	वेतनमान	स्वीकृत पदों की संख्या	भरे	रिक्त
1	सचिव	37400-67000, 8700	1	1	0
2	उप सचिव	15600-39100, 6600	1	1	0
3	सहायक सचिव	15600-39100, 5400	1	1	0
4	लेखा अधिकारी	15600-39100, 5400	1	1	0
5	कार्यालय अधीक्षक	9300-34800, 4600	1	0	1
6	आशुलिपिक / कन्सोल आपरेटर	9300-34800, 4200	2	2	0
7	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	9300-34800, 4200	2	2	0
8	वरिष्ठ सहायक / सह कन्सोल आपरेटर	9300-34800, 4200	1	1	0
9	वरिष्ठ सम्प्रेक्षक	9300-34800, 4200	1	0	1
10	लेखाकार	9300-34800, 4200	1	1	0
11	लिपिक बिल क्लर्क / डाटा एन्ट्री आपरेटर	5200-20200, 1900	6	6	0
12	कैशियर / डाटा एन्ट्री आपरेटर	5200-20200, 1900	1	1	0
13	वाहन चालक	5200-20200, 1900	1	1	0
14	चतुर्थ श्रेणी	5200-20200, 1800	4	0	4
15	चौकीदार	5200-20200, 1800	1	0	1
Σ	योग		25	18	07

सत्र 2014-15 में खोली गयी नयी पालीटेक्निक संस्थाएँ।

क्र० सं०	संस्था का नाम	पदनाम / वेतनमान	स्वीकृत पद	शासनादेश सं० एवं दिनांक
1	राजकीय पालीटेक्निक चोपता (रुद्रप्रयाग)	प्रधानाचार्य 12000-16500	01	485 / XXIV(8) / 2006-13 / 2006 दिनांक 14.06.2006
		आशुलिपिक 4000-6000	01	
		अनुसेवक 2550-3200	02	
		योग	04	
2	राजकीय पालीटेक्निक चम्पावत	प्रधानाचार्य 12000-16500	01	478 / XXIV(8) / 2006-02 / 2006 दिनांक 01.07.2006
		व्या० कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजी० 8000-13500	01	
		व्या० इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्प्यूनिकेशन इंजी० 8000-13500	01	
		व्या० इस्ट्रूमेंटेशन एण्ड कन्ट्रोल इंजी० 8000-13500	01	
		व्याख्याता गणित 8000-13500	01	

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005, मैनुअल संख्या-1

		व्याख्याता भौतिकी 8000-13500	01	
		व्याख्याता रसायन 8000-13500	01	
		व्याख्याता अंग्रेजी 8000-13500	01	
		कर्मशाला अनुदेशक 5000-8000	02	
		आशुलिपिक 4000-6000	01	
		कम्प्यूटर प्रोग्रामर 4500-7000	01	
		लाइब्रेरियर 4500-7000	01	
		कनिष्ठ सहायक 3050-4590	01	
		चतुर्थ श्रेणी 2550-3200	03	
		योग	17	
3	राजकीय पालीटेक्निक बांस (पिथौरागढ़)	प्रधानाचार्य 12000-16500	01	371 / XXIV(8) / 2005-06 / 2 005 दिनांक 06.02.2006
		आशुलिपिक 4000-6000	01	
		अनुसेवक 2550-3200	02	
		योग	04	
4	राजकीय पालीटेक्निक जैती (अल्मोड़ा)	प्रधानाचार्य 12000-16500	01	373 / XXIV(8) / 2005-42 / 2 004 दिनांक 31.12.2005
		आशुलिपिक 4000-6000	01	
		अनुसेवक 2550-3200	02	
		योग	04	
5	राजकीय पालीटेक्निक पौड़ी (गढ़वाल)	प्रधानाचार्य 12000-16500	01	369 / XXIV(8) / 2005-09 / 2 005 दिनांक 31.12.2005
		आशुलिपिक 4000-6000	01	
		अनुसेवक 2550-3200	02	
		योग	04	
6	राजकीय पालीटेक्निक पाबौ (पौड़ी गढ़वाल)	प्रधानाचार्य 12000-16500	01	739 / XXIV(8) / 2005-63 / 2 005 दिनांक 20.02.2006
		आशुलिपिक 4000-6000	01	
		कम्प्यूटर प्रोग्रामर 4500-7000	01	
		अनुसेवक 2550-3200	02	
		योग	05	
7	राजकीय पालीटेक्निक बांसबगड़ तल्ला जौहर (पिथौरागढ़)	प्रधानाचार्य 12000-16500	01	373 / XXIV(8) / 2005-42 / 2 004 दिनांक 31.12.2005
		आशुलिपिक 4000-6000	01	
		अनुसेवक 2550-3200	02	
		योग	04	
8	राजकीय पालीटेक्निक बेरीनाग (पिथौरागढ़)	प्रधानाचार्य 12000-16500	01	370 / XXIV(8) / 2005-07 / 2 005 दिनांक 10.01.2006
		आशुलिपिक 4000-6000	01	
		अनुसेवक 2550-3200	02	
		योग	04	
9	राजकीय पालीटेक्निक बरम (पिथौरागढ़)	व्या0 सी0एस0 8000-13500	01	555 / XXIV(8) / 06-01 / 200 6 दिनांक 22.08.2006
		व्या0 इलैक्ट्रॉनिक्स 8000-13500	01	
		व्या0 गणित 8000-13500	01	
		व्या0 भौतिकी 8000-13500	01	
		व्या0 रसायन 8000-13500	01	
		व्या0 अंग्रेजी 8000-13500	01	

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005, मैनुअल संख्या-1

		कर्मशाला अनुदेशक 5000-8000	05	
		कम्प्यूटर प्रोग्रामर 4500-7000	01	
		कनिष्ठ सहायक / कम्प्यूटर ऑपरेटर 3050-4590	01	
		मुख्य सहायक 4500-7000	01	
		प्रवर सहायक 4000-6000	01	
		कनिष्ठ सहायक 3050-4590	01	
		चौकीदार 2550-3200	03	
		परिचारक (माली / बेलदार) 2550-3200	01	
		स्वीपर 2550-3200	02	
		लैब अटैन्डेन्ट 2550-3200	02	
		लाईब्रेरी अटैन्डेन्ट 2550-3200	01	
		परिचारक कर्मचारी अटैन्डेन्ट 2550-3200	01	
10	राजकीय पालीटेक्निक बछेलीखाल (टिहरी गढ़वाल)			77/XLI-1/2014-13/14 29-01-2014
11	राजकीय पालीटेक्निक पिपली (उत्तरकाशी)			129/XLI-1/2013-97/13 23-10-2013

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005, मैनुअल संख्या-1

12	राजकीय पालीटेक्निक चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)			1001/XLI-1/2013-93/13 11-11-2013
13	राजकीय पालीटेक्निक जोशीमठ (चमोली)			
14	राजकीय पालीटेक्निक पोखरी (चमोली)			746/XLI-1/2013-74/13 08-08-2014
15	राजकीय पालीटेक्निक बाडेछीना (अल्मोड़ा)			747/XLI-1/2013-मु०घो०-44/12 08-08-2013
16	राजकीय पालीटेक्निक भीमताल (नैनीताल)			38/XLI-1/14-7/2014 14-01-2014
17	राजकीय पालीटेक्निक काण्डीखाल (टिहरी गढ़वाल)			30/XLI-1/2014-6/14 08-02-2014

प्रधानाचार्यः— राजकीय पालीटेक्निकों में प्रधानाचार्य, वित्तीय हस्त पुस्तिका के अनुसार कार्यालयाध्यक्ष घोषित हैं। तदनुसार कार्यालयाध्यक्ष के समस्त शक्तियां प्रधानाचार्य पद में निहित हैं। संस्था के समस्त प्रशासनिक अधिकार भी प्रधानाचार्य में निहित हैं।

अध्यक्षः— समस्त अभियंत्रण एवं अभियंत्रणेतत्तर विषयों के विभागाध्यक्ष अपने-अपने विभागों के पठन-पाठन एवं सामान्य प्रशासन के लिए जिम्मेदार हैं। इसके साथ ही प्रधानाचार्य द्वारा दिये गये समस्त आदेश और निर्देशों का पालन भी करते हैं।

व्याख्याता :— सभी विषयों के व्याख्याता अपने-अपने विषयों के पठन-पाठन एवं प्रशिक्षण के दायित्व का निर्वहन करते हैं। इसके अतिरिक्त शिक्षणेतत्तर कार्यों का आवंटन भी प्रधानाचार्य एवं विभागाध्यक्ष द्वारा आवश्यकतानुसार व्याख्याता को दिया जाता है।

इसके अतिरिक्त कनिष्ठ व्याख्याता, सहायक प्रवक्ता, कर्मशाला अनुदेशक, कला अनुदेशक व अन्य सभी कर्मचारी प्रधानाचार्य एवं विभागाध्यक्ष के निर्देशानुसार आवंटित कार्यों का निर्वहन करते हैं।

इसके अतिरिक्त एक "सहायता प्राप्त पालीटेक्निक" के०एल०पालीटेक्निक रुड़की की स्थापना 25 जनवरी 1956 को की गयी। वर्तमान में इस संस्था में सिविल इंजी०, विद्युत इंजी०, मैकेनिकल इंजी०, इलैक्ट्रानिक्स इंजी०, पी०जी०डिप्लोमा कम्प्यूटर एप्लीकेशन, मैकेनिकल आटो, पाठ्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

2. उक्त पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु संस्था में सृजित पदों की स्थिति निम्नानुसार है —

क्र० सं०	पदनाम	वेतनमान	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद
01	प्रधानाचार्य	15600-39100, G.P.6600	01	—	01

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005, मैनुअल संख्या-1

02	ज्येष्ठ प्रवक्ता सिविल इंजी०	15600-39100, G.P.6600	01	—	01
03	प्रवक्ता सिविल इंजी०	15600-39100, G.P.5400	08	05	03
04	सहायक प्रवक्ता सिविल इंजी०	9300-34800, G.P.4200	—	—	—
05	ज्येष्ठ प्रवक्ता विद्युत	15600-3900, G.P.6600	01	—	01
06	प्रवक्ता विद्युत	15600-3900, G.P.5400	06	03	03
07	स०प्र० विद्युत	9300-34800, G.P.4200	—	—	—
08	ज्येष्ठ प्र० यांत्रिकी	15600-3900, G.P.6600	—	—	—
09	प्रवक्ता यांत्रिकी	15600-3900, G.P.5400	08	03	05
10	सहा०प्र० यांत्रिकी	9300-34800, G.P.4200	02	02	—
11	ज्ये० प्र० इलैक्ट्रा०	15600-3900, G.P.6600	—	—	—
12	प्र० इलैक्ट्रानिक्स	15600-3900, G.P.5400	06	04	02
13	सहा०प्र० इलैक्ट्रा०	9300-34800, G.P.4200	—	—	—
14	प्र०कम्प्यूटर एप्ली०	15600-3900, G.P.5400	02	02	—
15	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	5200-20200, G.P.2800	01	02	(-)1
16	कर्मशाला अधीक्षक	15600-3900, G.P.5400	01	01	—
17	कर्मशाला अनुदेशक	9300-34800, G.P.4200	15	10	05
18	प्रवक्ता अंग्रेजी	15600-3900, G.P.5400	01	01	—
19	प्रवक्ता गणित	15600-3900, G.P.5400	02	02	—
20	प्रवक्ता भौतिकी	15600-3900, G.P.5400	01	02	(-)1
21	प्रवक्ता रसायन	15600-3900, G.P.5400	01	01	—
22	अनुदेशक विज्ञान	5200-20200, G.P.2800	—	—	—
23	आफिस ड्राफ्टमैन	5200-20200, G.P.2800	01	—	01
24	टैक्नीशियन	5200-20200, G.P.2400	01	01	—
25	प्रधान लिपिक	5200-20200, G.P.2800	01	01	—

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005, मैनुअल संख्या-1

26	पुस्तकालय अधीक्षक	5200-20200, G.P.2800	01	01	—
27	आशुलिपिक	5200-20200, G.P.2400	01	01	—
28	कैशियर / ज्येष्ठ लिपिक-लेखा लपिक	5200-20200, G.P.2800	02	—	02
29	लिपिक	5200-20200, G.P.1900	06	03	03
30	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	4440-3200 G.P. 1800	30	12	18
		योग	100	57	43

नोट : (1) शासनादेश सं० 2281/प्रा०शि०-3-1989-60(बी)/69 दिनांक 07.06.1989 के निर्देशानुसार शिक्षण का न्यूनतम स्तर प्रवक्ता (व्याख्याता) कर दिए जाने पर 3 सहायक प्रवक्ता पदों के रिक्त पदों के विरुद्ध 2 प्रवक्ता पदों का सृजन कर प्रवक्ता पदों पर नियुक्तियों की गई। तथा शेष रिक्त पदों पर तदानुसार पद सृजित कर भरे जाने वाले पदों की स्थिति तैयार की गयी। (स्रोत :- प्रधानाचार्य के०एल०पाली० के पत्रांक के०पी०आर० 703/2008-09 दिनांक 26-10-09 के अनुसार)

:: उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद का गठन ::

सुनेहरा रोड, काशीपुरी रुड़की, फैंक्स नं० 01332-266349/ 266371/266370

Web site- www.ubter.in

उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद:- उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद अधिनियम 2003 (Act No. 27) को उत्तराखंड शासन विधायी एवं कार्य विभाग की संख्या -499/विधायी एवं संसदीय कार्य /2003 दिनांक 15 जनवरी 2004 द्वारा प्रख्यापन कर उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद रुड़की का विधिवत गठन किया गया। प्रदेश की समस्त राजकीय, महिला, ग्रामीण, सहायता प्राप्त एवं निजि क्षेत्र की पालीटेक्निक संस्थाओं के छात्र/छात्राओं में डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में उच्च स्तर की तकनीकी गुणवत्ता एवं शिक्षण-प्रशिक्षण सुनिश्चित करने हेतु उत्तरांचल प्राविधिक शिक्षा परिषद की स्थापना 14 फरवरी 2004 को रुड़की में की गयी। परिषद का कार्यालय सुनेहरा रोड, काशीपुरी रुड़की में स्थायी रूप से स्थापित किया गया।

परिषद की शक्तियां और कर्तव्य :-

- संस्थाओं को सम्बद्धता प्रदान करना, पाठ्यक्रमों का निर्धारण, मुख्य परीक्षा का संचालन तथा निम्न कक्षाओं से उच्चतर कक्षाओं के पाठ्यक्रम के उन्नयन हेतु निर्देश देना।
- परिषद द्वारा निर्धारित मापदण्डों एवं मानकों को पूर्ण करने वाले संस्थाओं के लिए परीक्षाओं तथा डिप्लोमा/उपाधियां प्रदान करने के प्रयोजन के लिए परिषद की सम्बद्धता प्राप्त करनी अनिवार्य है। तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाली व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं का निरीक्षण तथा उनके पंजीकरण की व्यवस्था एवं उससे संबंधित और अनुषांगिक विषयों की व्यवस्था करना।
- सम्बद्ध संस्थाओं के भवन एवं उपकरणों के मानक निर्धारित करना।
- सम्बद्ध संस्थाओं में छात्रों के प्रवेश हेतु शैक्षिक योग्यता एवं प्रवेश विहित करना।
- परिषद द्वारा संचालित परीक्षा, परीक्षाओं में छात्रों को सम्मिलित होने के लिए अनुमति प्रदान करना।
- प्रवेश परीक्षा एवं सामान्य परीक्षा का परीक्षाफल घोषित करना तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार डिप्लोमा अथवा प्रमाण पत्र प्रदान करना

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005, मैनुअल संख्या-1

- तकनीकी शिक्षा के समन्वित विकास हेतु इस अधिनियम के अधीन उपलब्धों के अनुसार, राज्य सरकार को परामर्श देना ।
- प्रवेश परीक्षा एवं अन्य परीक्षाओं हेतु शुल्क निर्धारण तथा नियमानुसार लेखा एवं खातों का रख रखाव ।
- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी कियेजाने वाले आदेशों/निर्देशों का अनुपालन करना ।
- अंशदान, भारत सरकार तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की विभिन्न योजनाओं से प्राप्त अनुदान आदि प्राप्त करना ।
- ऐसे अन्य कर्तव्यों का अनुपालन जो इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा प्रदान किये जायें ।

तकनीकी शिक्षा में गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (टी0ई0क्यू0आई0पी0)

विश्व बैंक सहायतित तकनीकी शिक्षा में गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम में राज्य की परियोजना के प्रथम चरण के द्वितीय चक्र में सम्मिलित कर लिया गया है । इस परियोजना के माध्यम से तकनीकी शिक्षा में निम्न गुणवत्ता सुधार कार्य अपेक्षित हैं :-

- तकनीकी संस्थानों की प्रयोगशालाओं/कार्यशालाओं के यंत्रों/संयंत्रों का आधुनिकीकरण ।
- फ़ैक्ट्री एवं स्टाफ को ट्रेनिंग के माध्यम से नवीन तकनीकी विषयों से परिचय एवं विकास ।
- नवीन आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए पाठ्यक्रमों में आवश्यक सुधार ।
- पाठ्यचर्चा में फ्लेक्सिबिलिटी ।
- संस्थान का उद्योगों से अंतर्सम्बद्ध स्थापित करना ।
- अनुसंधार को बढ़ावा देना ।
- प्रबन्ध क्षमता का विकास ।

उपरोक्त परियोजना के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु राज्य सरलीकरण परियोजना इकाई की स्थापना की जा चुकी है तथा परियोजना के अंतर्गत राज्य स्क्रीनिंग समिति एवं राज्य स्टीयरिंग समिति का गठन किया जा चुका है ।

परियोजना में राज्य की निम्नलिखित संस्थाओं का चयन किया जा चुका है :-

1. कालेज आफ टैक्नोलाजी पंतनगर ।
2. जी0बी0पी0ई0सी0, पौड़ी ।
3. कुमाऊं इंजीनियरिंग कालेज, द्वाराहाट ।
4. देहरादून इस्टीट्यूट आफ टैक्नोलाजी, देहरादून ।
5. राजकीय पालीटेक्निक देहरादून ।

चयनित संस्थाओं से निम्नलिखित कार्य अपेक्षित हैं :-

- कार्य क्षमता को बढ़ाकर उच्च क्वालिटी के प्रोफेशनल शिक्षित करना ।
- आंतरिक क्षमता का विकास ।
- बेहतर प्रबन्ध क्षमता एवं नेटवर्किंग ।
- वित्तीय क्षमता का विकास ।
- ज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने में योगदान ।
- सामुदायिक विकास योजना एवं जनजातीय विकास के द्वारा इनफारमल सेक्टर के श्रमिकों की उत्पादकता में वृद्धि करना ।

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005, मैनुअल संख्या-1

संख्या: 911/मा0सं0वि0/2001

प्रेषक,

एन0 रविशंकर,
सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

संयुक्त निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा
उत्तरांचल पौड़ी ।

मानव संसाधन विकास विभाग ।

देहरादून 18 जुलाई, 2001 ।

विषय— प्राविधिक शिक्षा निदेशालय का गठन एवं पदों का सृजन ।

महोदय,

नवगठित उत्तरांचल राज्य की भौगोलिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तकनीकी शिक्षा के विकास पर बल देने, प्रशिक्षित बेरोजगारों को अधिक से अधिक तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराने तथा आधुनिक तकनीकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से प्राविधिक शिक्षा निदेशालय के गठन का महामहिम श्री राज्यपाल महोदय, द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

2— इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरांत प्राविधिक शिक्षा निदेशालय के गठन तथा क्षेत्रीय कार्यालय, प्राविधिक शिक्षा पौड़ी हेतु पूर्व में सृजित पदों को परिवर्तित एवं परिवर्द्धन कर प्राविधिक शिक्षा हेतु निम्नलिखित पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

क्रम संख्या	पदनाम	वेतनमान	संख्या
1	निदेशक	18400—22000	01
2	संयुक्त निदेशक	12000—16500	01
3	वित्त नियंत्रक	12000—16500	01
4	उप निदेशक	10000—15200	01
5	आशुलिपिक	5000—8000	01
6	वरिष्ठ सम्प्रेक्षक	5000—8000	01
7	वरिष्ठ लिपिक	4000—6000	01
8	कनिष्ठ कार्यालय सहायक / कनिष्ठ कार्यालय सहायक	3050—4590	05
9	ड्राइवर	3050—4590	01
10	चतुर्थ श्रेणी	2550—3200	02

निदेशक के पद हेतु अंकित वेतनक्रम विभागीय अधिकारी के पद धारण पर अनुमन्य होगा । यदि आई0ए0एस0 अथवा पी0सी0एस0 अधिकारी पद धारण करेंगे तो अपने संवर्ग में अनुमन्य वेतनक्रम में कार्य करेंगे । उल्लेखनीय है कि प्राविधिक शिक्षा निदेशालय का मुख्यालय श्रीनगर(गढ़वाल) में होगा ।

कृपया तदनुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें ।

भवदीय
हस्ताक्षर /—
(एन0 रविशंकर)
सचिव ।

(1) 911/मा.सं.वि./2001 तददिनांक ।

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005, मैनुअल संख्या-1

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल उत्तरांचल ।
2. महालेखाकार उत्तरांचल, इलाहाबाद ।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तरांचल शासन
4. सचिव, प्राविधिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन
5. निजी सचिव, मा0 प्राविधिक शिक्षा मंत्री जी ।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी देहरादून उत्तरांचल ।
7. गोपन (मंत्री परिषद) अनुभाग ।
8. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से
हस्ताक्षर /-
(एन0 रविशंकर)
सचिव ।

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005, मैनुअल संख्या-1

संख्या: 911/मा0सं0वि0/2001

प्रेषक,

जे0पी0जोशी,
अनुसचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

संयुक्त निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा
उत्तरांचल पौड़ी ।

मानव संसाधन विकास विभाग ।

देहरादून दिनांक 06 फरवरी 2003

विषय— प्राविधिक शिक्षा निदेशालय हेतु अतिरिक्त पदों का सृजन ।

महोदय,

उर्पयुक्त विषयक आपके पत्रांक /3193/नि0प्रा0शि0/ प्लान-छ:-16 /2002-03 दिनांक 7-1-2003 के संदर्भ में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय उत्तरांचल हेतु निम्नलिखित पदों को उनके सममुख अंकित वेतनमानों में शासनादेश निर्गत होने अथवा विधिवत चयनोपरांत नियुक्ति की तिथि जो भी बाद में हो, से दिनांक 28-3-2003 तक के लिए अस्थायी रूप से सृजित किये जाने पर सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

क्रम संख्या	पद का नाम	वेतनमान	पदों की संख्या
1	कार्यालय अधीक्षक	5000-8000	01
2	आशुलिपिक	4000-6000	01
कुल योग			02(दो)

2- उक्त पद बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय समाप्त किये जा सकते हैं। सृजित होने वाले पद धारकों को समय-समय पर शासन द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य हों, देय होंगे ।

3- यह पद नियमानुसार निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत यथासमय यथा आवश्यकता से भरे जाएंगे ।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2002-03 के आय- व्ययक के अनुदान संख्या-11 के अंतर्गत लेखा शीर्षक 2203-तकनीकी शिक्षा-आयोजनोत्तर-001-निदेशन तगि प्रशासन-03 प्राविधिक शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा ।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-363/वित्त/अनु0-4/2003 दिनांक 3.2.2003 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय

हस्ताक्षर /-

(जे0पी0जोशी)

अनुसचिव ।

संख्या 05/:01:/प्रा0शि0/2003 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. महालेखाकार, उत्तरांचल पटेल नगर देहरादून ।
2. निदेशक, कोषगार एवं वित्त सेवायें, उत्तरांचल देहरादून ।
3. कोषाधिकारी पौड़ी ।
4. वित्त अनुभाग-4
5. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से

हस्ताक्षर /-

(जे0पी0जोशी)

अनुसचिव ।

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005, मैनुअल संख्या-1

संख्या: 1820/xxiv(8)/10-44/04

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा
श्रीनगर ।

शिक्षा अनुभाग-8 (तकनीकी)

देहरादून : दिनांक 18 जनवरी 2011

विषय- प्राविधिक शिक्षा निदेशालय , श्रीनगर के पदों के ढांचे को पुर्नगठित किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या 911/मा0सं0वि0/2001 दिनांक 18.7.2001 के द्वारा 15 पद तथा शासनादेश संख्या 05/प्रा0शि0/2003 दिनांक 6.2.2003 के द्वारा 02 पद अर्थात कुल 17 पद प्राविधिक शिक्षा निदेशालय श्रीनगर हेतु सृजित किये गये थे। प्राविधिक शिक्षा निदेशालय के कार्यभार को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व में 17 पदों के स्थान पर प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, श्रीनगर हेतु तत्काल प्रभाव से निम्न प्रकार 24 पद सृजित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र० सं०	पदनाम	पदों की संख्या	वेतन बैंड एवं ग्रेड पे० रू० में
1	2	3	4
01	निदेशक (Ex-Officio)	01	PB-IV-37400-67000 Grade Pay-8900 (पदेन)
02	अपर निदेशक	01	PB-IV-37400-67000 Grade Pay-8700
03	संयुक्त निदेशक	01	PB-III-15600-39100 Grade Pay-7600
04	वित्त नियंत्रक	01	PB-III-15600-39100 Grade Pay-7600
05	उप निदेशक	02	PB-III-15600-39100 Grade Pay-6600
06	वैयक्तिक सहायक ग्रेड-2	01	PB-II-9300-34800 Grade Pay-4200
07	आशुलिपिक सह कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-1	01	PB-II-9300-34800 Grade Pay-4200
08	आशुलिपिक सह -कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-2	01	PB-I-5200-20200 Grade Pay-2400
09	प्रशासनिक अधिकारी	01	PB-II-9300-34800 Grade Pay-4200
10	ज्येष्ठ लेखा परीक्षक	01	PB-II-9300-34800 Grade Pay-4200
11	सहायक लेखाकार	01	PB-I-5200-20200 Grade Pay-2800
12	मुख्य सहायक	02	PB-I-5200-20200 Grade Pay-2800
13	प्रवर सहायक	02	PB-I-5200-20200 Grade Pay-2400
14	कनिष्ठ सहायक	03	PB-I-5200-20200 Grade Pay-2000
15	वाहन चालक	02	PB-I-5200-20200 Grade Pay-2000 रिक्त पद आउटसोर्सिंग
16	चतुर्थ श्रेणी कार्मिक	02	IS--4440-7440 Grade Pay-1800 रिक्त पद आउट सोर्सिंग द्वारा
17	स्वच्छक / चौकीदार, / माली / अन्य	0	आउट सोर्सिंग द्वारा

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005, मैनुअल संख्या-1

चतुर्थ श्रेणी कार्मिक		
	योग	24

2- वाहन चालक एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पद आउट सोर्सिंग के आधार पर भरे जायेंगे तथा इन पद कोई सीधी भर्ती नहीं की जायेगी।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या :- 4275/xxvii(7)/2010 दिनांक 24.12.2010 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय
ह0अ0
(राकेश शर्मा)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक :तदैव।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखंड ओबराय, बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखंड शासन।
3. निजी सचिव, मा0 तकनीकी शिक्षा मंत्री, उत्तराखंड शासन।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन।
5. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून।
6. जिलाधिकारी पौड़ी।
7. संयुक्त सचिव, उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद रुड़की।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी /कोषाधिकारी पौड़ी।
9. समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय पालीटेक्निक उत्तराखंड,(निदेशक के माध्यम से)
10. वित्त (वे0आ0-सा0वि0) अनुभाग-7।
11. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय,परिसर, देहरादून।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से
ह0अ0
(सुनील सिंह)
अनु सचिव।

संख्या: 2857 / 6(62) / मा0सं0वि0 / 2001

प्रेषक,

एन0 रविशंकर,
सचिव,

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005, मैनुअल संख्या-1

उत्तरांचल शासन ।
सेवा में,

निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा
उत्तरांचल ।

मानव संसाधन विकास विभाग ।

देहरादून 15/23 अक्टूबर 2001

विषय— उत्तरांचल प्राविधिक शिक्षा एवं परिषद का गठन ।
महोदय,

उपरोक्त विषय पर संयुक्त निदेशक प्राविधिक शिक्षा के पत्रांक 361/कैप/सं0नि0उ0/2001-02 दिनांक 16.8.2001 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश में प्राविधिक शिक्षा परिषद एवं संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद पृथक-पृथक संस्थायें हैं। इस संबंध में नवगठित उत्तरांचल राज्य में सम्यक विचारोपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद एवं संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद को समन्वित कर उत्तरांचल प्राविधिक शिक्षा एवं परीक्षा परिषद के गठन का निर्णय लिया गया है। उत्तरांचल प्राविधिक शिक्षा एवं परीक्षा परिषद के मुख्य कार्य पाठ्यक्रम, वार्षिक परीक्षा के प्रश्नपत्रों का मुद्रण वार्षिक परीक्षा का संचालन, मूल्यांकन प्रांत में स्थित संस्थाओं की सम्बद्धता एवं राजकीय पालीटेक्निक में छात्रों के प्रवेश परीक्षा का संचालन करना आदि है।

2— उत्तरांचल प्राविधिक शिक्षा एवं परीक्षा परिषद का स्वरूप निम्नवत् निर्धारित किया गया है ।

क्र०सं०	पदनाम	प्रस्तावित पदों की संख्या	वेतनमान
1	सचिव	01	14300-18300
2	संयुक्त सचिव	01	12000-16500
3	उप सचिव	02	10,000-15200
4	सहायक सचिव	02	8000-13500
5	लेखाधिकारी	01	8000-13500
6	कार्यालय अधीक्षक	01	6500-10500
7	आशुलिपिक/कंसोल आपरेटर	03	5500-9000
8	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	04	5500-9000
9	वरिष्ठ सहायक/सह कंसोल आपरेटर	02	5000-8000
10	वरिष्ठ सम्प्रेक्षक	01	5000-8000
11	लेखाकार	02	5000-8000
12	लिपिक/बिल क्लर्क/डाटा एन्ट्री आपरेटर	10	3050-4590
13	वाहन चालक	04	3050-4590
14	कैशियर/डाटाएंट्री आपरेटर	01	2550-3200
15	चतुर्थ श्रेणी	08	2550-3200
16	चौकीदार	01	2550-3200
17	सफाई कर्मचारी	संविदा पर-01	2550-3200
योग		45	

3— उत्तरांचल प्राविधिक शिक्षा एवं परीक्षा परिषद का मुख्यालय रुड़की में स्थित होगा ।

4— कृपया, उपरोक्त प्रस्तर-2 में उल्लिखित पदों के सृजन समायोजन एवं प्रतिनियुक्ति आदि जो भी स्थिति उपयुक्त हो इस आशय का प्रस्ताव शासन के विचारार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

5— उपरोक्त परिषद के गठन के उपरांत उ0प्र0 में प्राविधिक शिक्षा परिषद एवं संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद में उत्तरांचल के लाभांश/वाहन/परिसम्पत्ति एवं आस्तियों के प्राप्ति के संबंध में अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें ।

भवदीय
हस्ताक्षर /—

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005, मैनुअल संख्या-1

(एन0 रविशंकर)
सचिव ।

पू0 सं0 (1)6 (62)/मा.सं.वि./2001 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल उत्तरांचल ।
2. महालेखाकार उत्तरांचल, इलाहाबाद ।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तरांचल शासन ।
4. सचिव, प्राविधिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन/सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद/सचिव संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश ।
5. सचिव, पुर्नगठन उत्तरांचल शासन/पुर्नगठन आयुक्त उत्तरांचल विकास भवन, लखनऊ ।
6. स्थानीय आयुक्त उत्तरांचल नई दिल्ली ।
7. निजी सचिव, मा0 प्राविधिक शिक्षा मंत्री जी ।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी देहरादून उत्तरांचल ।
9. गोपन (मंत्री परिषद) अनुभाग के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 4-2-23/2001-सी-एक्स0दिनांक 15.10.2001 (मा0 मंत्रि परिषद की बैठक 12-10-2001 के कार्याबलि मद संख्या-3)के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित ।
10. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से
हस्ताक्षर /-
(एन0 रविशंकर)
सचिव ।